UPUN010004502021

न्यायालय Addl. District Judge Court No. 1
AT ,उन्नाव

पीठासीन अधिकारी–(Kavita Mishra)), (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06229

सत्र परीक्षण सं0-S.T. No-151/2021

राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा लोक अभियोजक उन्नाव। ....अभियोजक

प्रति

1– बबलू पुत्र स्व0 कालीचरन पासी

2– कमल पुत्र मुन्ना पासी

3– दीपू पुत्र कालीचरन पासी

4– बहादुर पुत्र किशोरी पासी

5– निर्मला पत्नी बबलू पासी

समस्त निवासीगण ग्राम बजरंगखेड़ा मजरा काथा, थाना असोहा जनपद उन्नाव।

.... अभियुक्तगण

सत्र परीक्षण सं0–151/2021
मु0अ0सं0–206/2020
धारा–302,147,336,323,506,34 भा0द0सं0
थाना–असोहा जनपद–उन्नाव।

निर्णय

1– सत्र परीक्षण सं0–151/2021 मु0अ0सं0–206/2020 धारा–302,147,336,323,506,34 भा0द0सं0 थाना, असोहा जिला उन्नाव की पुलिस ने अभियुक्तगण बबलू,कमल,दीपू,बहादुर तथा निर्मला के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया है, जिसके आधार पर अभियुक्तगण का विचारण किया गया।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है–

वादी मुकदमा सत्यनरायन के द्वारा प्रभारी निरीक्षक थाना असोहा जनपद उन्नाव को दी गयी लिखित तहरीर प्रदर्श क–1 दिनांकित 15.11.2020 के आधार पर संक्षेप मे अभियोजन का कथन इस प्रकार है कि प्रार्थी सत्यनरायन पुत्र श्री राम

लाल लोधी निवासी ग्राम बजरंगखेड़ा मजरे कॉथा थाना असोहा जनपद उन्नाव का निवासी है। आज दिनांक 15.11.2020 को दिन मे लगभग तीन बजे प्रार्थी अपने खेत जा रहा था। प्रार्थी के साथ मेरे पिता रामलाल भी थे। रास्ते मे प्रार्थी के गांव के जगपाल लोधी के घर के पास हमारे गांव के बबलू पुत्र कालीचरन पासी,कमल पुत्र मुन्ना पासी,दीपू पुत्र कालीचरन पासी,बहादुर पुत्र किशोरी पासी व निर्मला पत्नी बबलू पासी आये व उपरोक्त लोगों द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर लाठी डन्डा,ईटा पत्थर लेकर हम लोगों को दौड़ा लिये व मारपीट करने लगे, हम लोग अपने पुराने घर की तरफ भागे तो विपक्षीगणों ने घेरकर हमे व हमारे पिता को मारने पीटने लगे मारपीट मे हमारे पिता रामलाल की मौके पर मृत्यु हो गयी तथा मेरे भी चोटे आयी है। शोरगुल सुनकर गांव के चंदू पुत्र राजेन्द्र ने जगपाल पुत्र हीरा लाल व नन्दू पुत्र राजेन्द्र तथा बहुत सारे लोग आ गये जिन्होने घटना को देखा व बीच–बचाव किया तो विपक्षी उपरोक्त जान से मारने की धमकी देकर अपने घरों को चले गये। हमारे पिता की लाश मौके पर पड़ी है। अतः अनुरोध है कि मेरी रिपोर्ट लिखकर उचित कार्यवाही करने की कृपा करे।

3– वादी की उक्त तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण बबलू,कमल,दीपू,बहादुर तथा निर्मला पत्नी कल्लू पासी के विरूद्ध दिनांक 15.11.2020 को समय 17:00 बजे मु.अ.सं–206 / 2020 धारा–302,147,336,323,506 भा.दं.सं मे अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसका का खुलासा जी0डी0 सं0–37 दिनांक 17:00 बजे किया गया। विवेचना संबंधित विवेचक को सुपुर्द की गयी। विवेचक द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। नक्शा नजरी तैयार की तथा सभी आवश्यक साक्षीगण के बयान अंकित किये गये तदोपरान्त अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध धारा–302,147,336,323,506,34 भा.दं.सं मे आरोप–पत्र संख्या–04 / 2021 दिनांक 07.01.2021 को न्यायालय मे प्रेषित किया गया।

4– तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उन्नाव के न्यायालय द्वारा आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के उपरान्त अभियुक्तगण को तलब किया गया। इस वाद की पत्रावली को तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उन्नाव ने दिनांक–21.01.2021 को विचारण हेतु इस न्यायालय को सुपुर्द कर दिया जिसके आधार पर इस न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण का विचारण किया गया।

5– उपार्पित पत्रावली प्राप्त होने पर सत्र न्यायालय द्वारा दिनांक–18.09.2021 को अभियुक्तगण बबलू,कमल,दीपू,बहादुर तथा निर्मला पत्नी कल्लू पासी के विरूद्ध धारा–147, 336 / 149, 323 / 149, 302 / 149, 506 भा0.दं0. सं0. का आरोप

विरचित किया गया। आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया और विचारण की मांग की।

6– अभियोजन साक्ष्य के अनुक्रम में अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित कराया गयाः–

क्रम संख्या	अभियोजन साक्षी संख्या	साक्षी का नाम	अभियोजन कथानक में भूमिका/साक्षी की प्रकृति
1	पी0डब्लू0–1	सत्य नरायन	वादी मुकदमा (तथ्य की साक्षी)
2	पी0डब्लू0–2	रामचरन	तथ्य का साक्षी
3	पी0डब्लू0–3	जगपाल	तथ्य के साक्षी
4	पी0डब्लू0–4	डाक्टर फैज़ल जुबैर	औपचारिक साक्षी (पोस्टमार्टमकर्ता)
5	पी0डब्लू0–5	ओमप्रकाश रजक	औपचरिक साक्षी (विवेचक)
6	पी0डब्लू0–6	डाक्टर बी.पी.सिंह	औपचारिक साक्षी चिकित्सीय परीक्षण करने वाले चिकित्सक
7	पी0डब्लू0–7	हेड का0.मो0.जावेदी	औपचारिकसाक्षी (एफ.आई.आर लेखक)

7– अभियोजन पक्ष की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रदर्श के रूप में साबित कराया गयाः–

क्रम संख्या	दस्तावेजों का विवरण	प्रदर्श संख्या	साबित कर्ता
1	तहरीर	प्रदर्श क–1	पी0डब्लू0–1 सत्य नरायन
2	पोस्टमार्टम रिपोर्ट	प्रदर्श क–2	पी0डब्लू0–4 डा0.फैजल जुबैर
3	पंचायतनामा	प्रदर्श क–3	पी.डब्लू–5 ओमप्रकाश रजक
4	चिट्ठी प्रतिसार निरीक्षक	प्रदर्श क–4	पी.डब्लू–5 ओमप्रकाश रजक
5	चिट्ठी सी.एम.ओ.	प्रदर्श क–5	पी.डब्लू–5 ओमप्रकाश रजक
6	नमूना सील	प्रदर्श क–6	पी.डब्लू–5 ओमप्रकाश रजक
7	फोटो लाश	प्रदर्श क–7	पी.डब्लू–5 ओमप्रकाश रजक
8	पुलिस फार्म सं0–13	प्रदर्श क–8	पी.डब्लू–5 ओमप्रकाश रजक
9	खूनालूदा व सादी मिट्टी	प्रदर्श क–9	पी.डब्लू–5 ओमप्रकाश रजक
10	नक्शा–नजरी घटना स्थल	प्रदर्श क–10	पी.डब्लू–5 ओमप्रकाश रजक
11	फर्द बरामदगी ईट के दो अद्द टुकड़े व एक अद्द पूरा ईटा व एक अद्द लकड़ी का डण्डा	प्रदर्श क–11	पी.डब्लू–5 ओमप्रकाश रजक
12	गिरफ्तारी प्रपत्र	प्रदर्श क–12	पी.डब्लू–5 ओमप्रकाश रजक
13	आरोप–पत्र	प्रदर्श क–13	पी.डब्लू–5 ओमप्रकाश रजक
14	चिकित्सीय परीक्षण आख्या	प्रदर्श क–14	पी.डब्लू–6 डाक्टर बी.पी.सिंह

15	चिक एफ.आई.आर	प्रदर्श क–15	पी.डब्लू–7 हेड का0.मो.जावेद
16	कायमी जी.डी.	प्रदर्श क–16	पी.डब्लू–7 हेड का0.मो.जावेद
17	वि.वि.प्रयोग.रिपोर्ट–166326		धारा–294 दं.प्र.सं के तहत पठनीय

8– अभियोजन पक्ष का साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्तगण के धारा 313 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत बयान दर्ज किये गये। धारा 313 द0प्र0सं0 के बयान में अभियुक्त कमल ने अभियोजन कथानक को गलत बताया। पी.डब्लू–1 लगायत पी.डब्लू–3 के बयानों के बारें मे कहा गया कि गलत बयान है। पी.डब्लू–4 के बयान के बारें मे कहा कि कुछ नही कहना। पी.डब्लू–5 के बयान के बारें मे कहा कि झूॅठी विवेचना की गयी है। पी.डब्लू–6 के बयानों के बारें मे कहा कि कुछ नही कहना है। पी.डब्लू–7 के बयानों के बारें मे कहा कि गलत साबित किया है। मुकदमा रंजिशन चलने का कथन किया तथा सफाई साक्ष्य देने का कथन किया गया तथा यह भी कथन किया गया कि मै मौके पर नही था परिवारिक रंजिश व दूसरे के कहने पर फंसाया गया है। अपने अतिरिक्त बयान 313 दं.प्र.सं मे कथन किया कि मुझे नही मालूम तथा मै निर्दोष हूॅ। अभियुक्त बबलू ने अभियोजन कथानक को गलत बताया। पी.डब्लू–1 लगायत पी.डब्लू–3 के बयानों के बारें मे कहा गया कि गलत बयान है। पी.डब्लू–4 के बयान के बारें मे कहा कि कुछ नही कहना। पी.डब्लू–5 के बयान के बारें मे कहा सही तथ्यों पर विवेचना न कर गलत तथ्यों पर की गयी है। पी.डब्लू–6 के बयानों के बारें मे कहा कि कुछ नही कहना है। पी.डब्लू–7 के बयानों के बारें मे कहा कि गलत साबित किया है। मुकदमा रंजिशन चलने का कथन किया तथा सफाई साक्ष्य देने का कथन किया गया तथा यह भी कथन किया गया कि वादी मुकदमा के परिवार से मेरी चाची माधुरी से दिनांक 25.7.2020 को झगड़ा हुआ था जिसकी रिपोर्ट माधुरी द्वारा थाने मे दर्ज करायी गयी। सुलह का दबाव बनाने हेतु वादी मुकदमा व घर वाले घर पर आकर गाली–गलौज व झगड़ा मे रामलाल मारे गये उनकी मृत्यु हो गई। अपने अतिरिक्त बयान 313 दं.प्र.सं मे कथन किया कि मुझे नही मालूम तथा मै निर्दोष हूॅ। अभियुक्त दीपू ने अभियोजन कथानक को गलत बताया। पी.डब्लू–1 लगायत पी.डब्लू–3 के बयानों के बारें मे कहा गया कि गलत बयान है। पी.डब्लू–4 के बयान के बारें मे कहा कि कुछ नही कहना। पी.डब्लू–5 के बयान के बारें मे कहा कि गलत विवेचना की है। पी.डब्लू–6 के बयानों के बारें मे कहा कि कुछ नही कहना है। पी.डब्लू–7 के बयानों के बारें मे कहा कि गलत साबित किया है। मुकदमा रंजिशन चलने का कथन किया तथा सफाई साक्ष्य देने का कथन किया गया तथा यह भी कथन किया

गया कि चाची माधुरी से 25.07.2020 को झगड़ा हुआ। रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी। सुलह के दबाव हेतु झूँठा मुकदमा दर्ज कराया है। अपने अतिरिक्त बयान 313 दं.प्र.सं मे कथन किया कि मुझे नही मालूम तथा मै निर्दोष हूँ। अभियुक्त निर्मला ने अभियोजन कथानक को गलत बताया। पी.डब्लू–1 लगायत पी.डब्लू–3 के बयानों के बारें मे कहा गया कि गलत बयान है। पी.डब्लू–4 के बयान के बारें मे कहा कि कुछ नही कहना। पी.डब्लू–5 के बयान के बारें मे कहा कि गलत विवेचना की है। पी.डब्लू–6 के बयानों के बारें मे कहा कि कुछ नही कहना है। पी.डब्लू–7 के बयानों के बारें मे कहा कि कुछ नही कहना है। मुकदमा रंजिशन चलने का कथन किया तथा सफाई साक्ष्य देने का कथन किया गया तथा यह भी कथन किया गया कि मै निर्दोष हूँ। अपने अतिरिक्त बयान 313 दं.प्र.सं मे कथन किया कि मुझे नही मालूम तथा मै निर्दोष हूँ। अभियुक्त बहादुर ने अभियोजन कथानक को गलत बताया। पी.डब्लू–1 लगायत पी.डब्लू–3 के बयानों के बारें मे कहा गया कि गलत बयान है। पी.डब्लू–4 के बयान के बारें मे कहा कि कुछ नही कहना। पी.डब्लू–5 के बयान के बारें मे कहा कि गलत विवेचना की है। पी.डब्लू–6 के बयानों के बारें मे कहा कि कुछ नही कहना है। पी.डब्लू–7 के बयानों के बारें मे कहा कि कुछ नही कहना है। मुकदमा रंजिशन चलने का कथन किया तथा सफाई साक्ष्य देने का कथन किया गया तथा यह भी कथन किया गया कि मै निर्दोष हूँ। अपने अतिरिक्त बयान 313 दं.प्र.सं मे कथन किया कि मुझे नही मालूम तथा मै निर्दोष हूँ।

9– अभियुक्तगण बबलू,दीपू तथा निर्मला की ओर से अपने बचाव मे सूची 9क/1 के माध्यम से छाया प्रति चिक एफ.आई आर मु.अ.सं–123/2020 कागज संख्या–9क/2 9क/4 दाखिल की गयी शेष अभियुक्तगण कमल तथा बहादुर की ओर से अपने बचाव मे कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया।

10– मैनें विद्वान सहायक ज़िला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

11– विद्वान सहायक ज़िला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की ओर से तर्क किया गया है कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियोजक कथानक स्थापित है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध साबित है तथा अभियुक्तगण को दण्डित किये जाने की याचना की गई।

12– जबकि अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया कि अभियोजन के द्वारा जो साक्षीगण परीक्षित कराये गये है उनके साक्ष्यों मे परस्पर विरोधाभास है। उभय पक्षों के मध्य पूर्व से रंजिश व मुकदमेबाजी चल रही है

इसलिए रंजिश के कारण अभियुक्तगण को झूँठा फंसाया गया है। ऐसी स्थिति में अभियोजन कथानक झूठा है। अभियुक्तगण आरोपित अपराध में दोषमुक्त होने योग्य है।

13– अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध के आलोक में निर्णय हेतु निम्नलिखित अवधार्य बिन्दु विरचित किये जाते हैः–

1– क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक–15.11.2020 को समय करीब 15:00 बजे बहद स्थान जगपाल लोधी का घर बहद ग्राम बजरंगखेड़ा थाना ज़िला मे सत्यनरायन एवं उसके परिवारीजन के साथ अपराध कारित करने के लिए विधि विरूद्ध जमाव गठित करके बलवा किया।

2– क्या अभियुक्तगण द्वारा उक्त, दिनांक, समय व स्थान पर वादी सत्यनरायन एवं उसके परिवारीजन को ईट पत्थर से मारकर उपहति कारित किया।

3– क्या अभियुक्तगण द्वारा उक्त, दिनांक, समय व स्थान पर वादी सत्यनरायन एवं उसके परिवारीजन को लाठी डण्डों से मारकर उपहति कारित किया।

4– क्या अभियुक्तगण द्वारा उक्त, दिनांक, समय व स्थान पर वादी सत्यनरायन एवं उसके पिता रामपाल को लाठी डण्डों व ईट पत्थर से मारकर उपहति कारित किया तथा पहुँचाई गई चोटों के परिणामस्वरूप वादी के पिता की मौके पर ही मृत्यु हो गयी।

5– क्या अभियुक्तगण द्वारा उक्त, दिनांक, समय व स्थान पर वादी सत्यनरायन एवं उसके परिवारीजन को जानमाल की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

14– उपरोक्त अवधार्य बिन्दु के समर्थन में अभियोजन की तरफ से परीक्षित साक्षी **पी0डब्लू0–1 सत्य नरायण** जो कि वादी मुकदमा है जिन्होंने तहरीर प्रदर्श क–1 को स्थापित किया है उन्होने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि, घटना दिनांक 15.11.2020 को समय 3:00 बजे दिन की है मै,मेरे पिता जी रामलाल अपने खेत जा रहे थे कि बबलू और चंदू आपस मे लड़ाई कर रहे थे बउवा लोध के घर के सामने मैने कहा कि आज त्यौहार है आपस मे लड़ाई मत लड़ों तो वह लोग पुरानी रंजिश को लेकर दीपू,बबलू,कमल ने मुझे व मेरे पिता जी को लाठी डण्डों व ईटों से मारा व निर्मला व बहादुर ने भी मारा था। मेरे दाहिनी ऑख की भौ पर चोट लग गई थी और पिता जी को बबलू और कालीचरन ने दौड़ा लिया था। दीपू पुत्र कालीचरन,जगपाल लोधी के घर के पास घेर लिया। उक्त पांचों

अभियुक्तगणों दीपू,बब्लू,कमल,निर्मला, व बहादुर ने आपस मे मिलकर लाठी डण्डों ईटा पत्थर से घेर कर मारने लगे पिता जी भागना चाह रहे थे भागने नही दिया मौके पर ही मार दिया। जगपाल लोधी,चंदू,नन्दु तथा गांव अन्य तमाम लोग मौके पर आ गए थे तब अभियुक्तगणों ने कहा ज्यादा बोलोगे तो तुम्हे भी मार कर मार डालेगें और भाग गये थे। घटना के पूर्व भी अभियुक्तगण मारने की धमकी दे चुके थे इसके पहले भी नागपंचमी के पूर्व के आसपास अभियुक्तगणों ने मारपीट किया था जिसका मुकदमा थाने पर लिखाया गया था। उक्त घटना की तहरीर मैने थाना असोहा मे दिया गया था जो पत्रावली मे दाखिल कागज संख्या–क4/5 जिसे देखकर साक्षी ने कहा कि यह वही प्रार्थना–पत्र है जो मैने दिया था। प्रार्थना–पत्र पर बने निशानी अंगॅूठे को साक्षी ने देखकर कहा कि यह मैने ही निशानी अंगॅूठा है जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। मेरी डाक्टरी परीक्षण भी किया गया था। मेरी निशादेही पर पुलिस द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया पुलिस ने मेरा बयान लिया था।

15– साक्षी ने जिरह में कथन किया कि बबलू,दीपू,निर्मला मेरी शादी हो चुकी है। मेरे दो लड़के एक लड़की है। मेरे एक भाई है जिसका नाम शत्रुघन है। मेरे पिता तीन भाई थे,रामकिशुन,श्रीराम, व राम लाल मेरे बाबा का नाम नन्हकऊ है। चंदू मौके पर परिवार के नही है गांव के है। राजेन्द्र चंदू के पिता है। राजेन्द्र से मेरी रिश्तेदारी नही है। बिरादरी के है। मेरे गांव मे लोध व रविदास ज्यादा है और पासी के पांच छः मकान ही है। मै लोध बिरादरी का हॅू। अभियुक्तगण पासी बिरादरी के है। लोध बिरादरी व पासी बिरादरी मे आपस मे लड़ाई होती रहती है। मेरे गांव मे लोध बिरादरी का वर्चस्व ज्यादा है मै अपने गांव के श्रीकृष्ण को जानता हॅू जो पासी बिरादरी के है। अभियुक्त बबलू दीपू के चाचा है। श्रीकृष्ण की पत्नी माधुरी ने मेरे पिता सत्य नरायन,रामलाल व चन्दू के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया था इसमें मै भी अभियुक्त रहा था। मेरे पिता की हत्या से पहले यह मुकदमा दर्ज हुआ था। उस मुकदमें मे मैने अपनी जमानत करा ली है। मेरा मकान बब्लू के मकान से 150 या 200 गज दूर है। श्रीकृष्ण का मकान मंदिर के बगल मे है श्रीकृष्ण का मकान बब्लू के मकान से 150–200 गज दूरी पर है। मै बिल्कुल पढ़ा लिखा नही हॅू। दरख्वास्त भी नही कर पाता हॅू। सरजू प्रसाद,रामचरन मेरे सगे चाचा है। जगपाल भी मेरे सगे चाचा है। उक्त मकान मेरे मकान से 150–200 गज दूर है। बब्लू का मकान सरजू प्रसाद,रामचरन व जगपाल के मकान के पास ही है। बब्लू के मकान के बगल मे रामचरन का मकान है उसके बाद सूरज रैदास का मकान

है। यह मकान आपस मे मिले हुए है। मै दिशाए जानता हूँ। मै नही बता सकता कि बब्लू के मकान का दरवाजा किस दिशा मे है। बब्लू,रामचरन,सरजू,जगपाल से मिला हुआ। खरंजा मार्ग है उनके मकान से मिला हुआ मेरा खेत है खेतों की देखरेख करने के लिए मै और मेरा परिवार जाता है। मेरा खेत एक दस बिसुवा,एक 04 बिसुवा है। माधुरी जो मेरे ऊपर रिपोर्ट लिखाई थी उसमें मै जेल गया था उसके बाद जमानत करवाई थी। माधुरी वाले मुकदमें मे सुलह वाली बात मुझसे नही दूसरे से चल रही थी। मेरी जानकारी मे नही है कि मेरे पिता माधुरी के घर सुलह के लिए गए हो। यह कहना गलत है कि मेरे या मेरे परिवार द्वारा माधुारी से सुलह के लिए धमकी दी जा रही हो मुझे जानकारी नही है कि मेरे पिता ने बब्लू आदि से माधुरी आदि को सुलह कराने को कहा था। घटना दीपावली के एक दिन बाद की है। तारीख मुझे याद नही है। घटना दिन की है मुझे दिन नही पता है शायद जाड़े के दिन थे। घटना के समय मेरे खेत मे लोकिया,तुरई की फसल बोई गयी थी उस समय लोकिया तुरई काटी जा रही थी लोकिया तोरई की फसल दिन रात काटते थे खेत के चारों तरफ पीलर का तार लगे थे। मेरे साथ मै और मेरे पिता रामलाल निकले थे खेत देखने जा रहे थे खेतों मे बन्दर रात दिन रहते है। उनको हाकने जा रहे थे। बन्दर लाठी डण्डों से रोके जाते है भगाते है। यह सब सामान खेतों मे पहले से पड़ा रहता है कोई इसको चोरी नही करता है। घटना के समय नये घर मे रहता था जो रोड पर है। खेतों से करीब आधा किलो मीटर दूर है। जब खेतों की तरफ जाते है तो एक रास्ता बब्लू के घर के पास से व एक दूसरा भी रास्ता है। घटना वाले दिन दूर वाले दूसरे रास्ते से जा रहे थे उस रास्ते से बोरी लोध,रामप्रसाद,राजकिशोर,कमलेश,किशोरी,कल्लू,मुन्ना का भी मकान है रज्जन गोपाली का भी मकान भीखम सन्ती का पड़ता है। उसके बाद खेत आ जाता है। इस रास्ते से बब्लू का मकान 100 गज दूरी पर है। उस रास्ते पर बब्लू आदि के खेत बने नही है। घर से चले थे तो मै मेरे पिता खाना खाकर चले थे। खाना 12 या एक बजे खाया था। कमल बहादुर,बब्लू के चाचा मिले थे जब घर से तीन बजे चले थे तो उसके 2,5 मिनट बाद यह लोग मिले थे। पांच लोग बब्लू,दीपू, बहादुर,निर्मला,कमल थे पांचों लोग लाठी डंडा से लैस थे मेरे डण्डा नही मारा था ईटा मारा था केवल एक बार मुझे बब्लू ने ईटा मारा था। पकड़ के हाथ पूरा मारा था समूचा ईटा मारा था। पिता जी को पांचों लोगों ने ईटा डण्डा,लाठी के साथ पांचों लोगों ने घेर कर बुरी तरह से मारा था मारपीट से पिता जी के शरीर पर चोटे आई थी चोटो से खून निकला था 10 या 15 मिनट तक मारा था इस मारपीट

के समय गांव के जगपाल,चन्दू,नन्दू,रामचरन और भी गांव के कई लोग आ गए थे। जब लोग सभी बिरादरी के थे इन लोगों ने बीच–बचाव किया था। पुलिस को फोन नही किया था। दरख्वास्त लिखी थी जो गांव मे लिखी थी किससे लिखाई थी नाम नही मालूम, थाने करीब चार बजे पहुॅच गए थे। थाने मेरे साथ एक आदमी गया था उसका नाम याद नही है थाने मे रिपोर्ट के बाद घर आ गया था थोड़ी देर बाद पुलिस घटना स्थल पर आ गयी थी पुलिस उसके बाद डेथ बाडी लेकर उन्नव आ गयी थी। मै उन्नाव नही आया था रिश्तेदार आये थे और मै घर पर रूक गया था। मेरे चोट की डाक्टरी हुयी थी। उसी दिन हुई थी पिता जी की डेथ बाडी दूसरे दिन घर गयी थी तीसरे दिन उनका अंतिम संस्कार हुआ था अंतिम संस्कार मे मै भी गया था गांव के करीब 100–50 लोग गये थे। होली,दीपावली लोग गांव वाले शराब का सेवन करते है यह झगड़ा शराब की वजह से नही हुआ था। शराब जब कब पीते है मेरे पिता जी शराब पिया करते है पिता जी की उम्र उस घटना के समय 60–70 वर्ष रही होगी पिता जी शराब पीकर गाली–गलौज नही किया करते है मेरे पिता जी दुबले पतले थे घटना से पहले बीच मे एक झगड़ा किया था इस घ टना की रिपोर्ट भाई शत्रुघन ने लिखाई थी घटना के दूसरे दिन पुलिस ने बयान लिया था। बयान घर पर लिया था मेरा दो बार बयान दोनों दिन जब गये थे तो लिया था जब दरोगा जी घर आये थे तो दरवाजे पर बैठाया था बयान जहां घटना हुयी थी वहां पर दिया था बयान पर अंगॅूठा लगाया था लिखे पर अंगूठा लगाया था। यह कहना गलत है कि घटना वाले दिन मै मेरे पिता रामलाल व चन्दू बब्लू के पास सुलह कराने गये थे। यह कहना गलत है कि बब्लू ने जहां श्रीकृष्ण ने रिपोर्ट लिखाई है उसी से जाकर वहां सुलह करे। यह भी कहना गलत है कि इसी बात पर गाली–गलौज होने लगी काफी लोग इकट्ठा हो गये थे और मेरे पिता और उनके लोग भागने लगे रामलाल जो ईटों के चट्टों पर गिर गए थे और उसी टक्कर की चोट से उनकी मृत्यु हो गयी हो। मेरे पिता के सर मे पीठ मे और भी गंभीर नई जगहों पर चोटे आयी थी। गिरने से खून निकल रहा था खून मौके पर गिरा था द्वार लाल हो गया था मुझे नही मालूम खून लगी मिट्टी पुलिस ने निकाली थी कि नही कपड़े खून से तर हो गये थे मै मौके पर नही था मुझे नही पता कि पुलिस कपड़े ले गयी की नही। मेरे पिता जी के पूरे कपड़े खून से सन गये थे। वह बन्डी,अंगौछा पहने थे यह कपड़े पुलिस ले गयी थी या नही मुझे नही मालूम, यह कपड़े इस समय घर मे है कि नही मुझे नही मालूम। मै व मेरे परिवार के लोग पिता जी की मृत्यु हो जाने पर उत्तेजित नही थे। लोधे लोग छोटे भाई

है। रामस्वरूप व रामसजीवन मेरे चाचा के लड़के है। जगपाल भी मेरे चाचा है। मैने व मेरे उक्त चाचा जी ने दिनांक 20/21–11–2020 को रात्रि को बब्लू आदि ने घर पर चढ़ाई करके चोरी मारीपट दंगा–फंसाद नही किया था। यह कहना गलत है कि दुर्घटना वश मेरे पिता जी की मृत्यु हुई हो और मैने गलत सूचना दी हो। अग्रेतर जिरह मे उक्त साक्षी ने कथन किया है कि इस समय मेरी उम्र 33 वर्ष है। घटना के समय मेरी उम्र 32 वर्ष रही होगी। मैने घटना के बाद डाक्टरी के समय मैने डाक्टरी करने वाले डाक्टर को अपनी उम्र 34 बतायी थी इस घटना से संबंधित एफ.आई.आर मैने लिखवाई थी घटना दिनांक 15.11.2020 दीपावली के दूसरे दिन 3:00 बजे की है मै और मेरे पिता जी खेतों पर जा रहे थे मेरे घर से खेत आधा किलोमीटर दूर है मै घर से करीब 3:00 बजे के आसपास निकले थे। बब्लू,दीपू,निर्मला,कमल,बहादुर यह लोग मुझे जगपाल लोधी के घर के पास मिले थे। उस समय यह लोग आपस मे झगड़ा कर रहे थे। इन लोगों के आपस मे खूना खच्चर भी हो गए थे मैने बब्लू व दीपू को समझाने का प्रयास किया बब्लू से मेरी पुरानी रंजिश है। बब्लू के परिवार से पहले मेरे ऊपर मुकदमा लिखाया जा चुका था जिसमें हम लोगों ने फिर वहां मैने चंदू गांव के लोध भाई शत्रुघन जो मेरा भाई है व मृतक पिता राम लाल आदि ने जमानत कराई थी। यह मुकदमा अभी भी हम लोगों के ऊपर चल रहा है। मै दारू नही पीता हूँ मतलब शराब होली दीपावली कभी भी लेता हूँ मेरे पिता जी पीते थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है चूँकि परेवा का दिन था उस दिन पिता दारू पिये थे जब बब्लू आदि आपस मे झगड़ा कर रहे थे तो मैने उन्हे समझाने का प्रयास किया था जिस पर बब्लू ने मेरे ईटा मार दिया था बब्लू ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे ईटा मार दिया था बाकी व्यक्ति अभियुक्तगण मुझे लाठी डण्डों से नही मारा था और ना ही मारा ही था यह घटना स्थल से करीब 100–150 गज रहा होगा मैने चिल्लाने पर शेर शराबे पर अभियुक्तगण मौके से भाग गए थे जब बब्लू ने मुझे ईटा मारा था तो मेरे पिता जी भाग रहे थे। मुझे यह नही पता कि मेरे पिता जी किस दिशा मे भाग रहे थे जहां पर मेरा घर है उधर ही अभियुक्तगण का भी घर है। मेरे पिता जी उसी दिशा मे भाग रहे थे मेरे पिता जी भागने से ठोकर लगने से गिरे नही थे। बब्लू के मारने से केवल मेरे एक चोट आई थी। शरीर मे और नही चोट आई थी। मेरे पिता जी को बहादुर ने,कमल ने,निर्मला, बब्लू,दीपू आदि ने दौड़ाया था जब यह लोग दौड़ा रहे थे तो बहादुर के हाथ दोनों मे समूचे ईटे थे दीपू के हाथ मे एक ईटा और एक हाथ मे डण्डा,निर्मला के केवल एक हाथ मे ईटा था, बब्लू के एक हाथ मे ईटा था व एक हाथ मे लाठी

थी। कमल दोनों हाथों मे अद्धा ईटा लिए था बहादुर का घर मेरे घर से करीब आधा किलो मीटर दूर पर है। घटना के समय बहादुर मौजूद था। बहादुर घटना वाले समय मेरे घर से खाना खाकर गया था उसके परिवार से मेरी रंजिश नही थी। बहादुर घटना वाले समय मेरे घर मेरे पिता के साथ खा पीकर गया था। जहां पर बब्लू ने मेरे ईटा मारा था वहां से जगपाल के दरवाजे पर मारकर गिरा दिया था जब मेरे पिता भाग रहे थे तब उनके लाठी डण्डे व ईटा नही पड़ पाये थे। मेरे पिता के गिरने बाद ही बहुत मारापीटा था फिर वह मारने से गिरे थे। जब मेरे पिता जी गिर गये थे तो बुरी तरह से मार रहे थे। करीब पांच मिनट मारा था। मै उस समय दूर खड़ा देख रहा करीब 20 कदम छिप कर देख रहा था लाठी,डण्डों ईटों और पत्थरों से भी मारा मेरे पिता को हाथ मे सर मे पैर मे पीठ मे बुरी तरह से मारा था अन्दरूनी चोटे आई थी। मुँह से और सर से खून निकला था। किसने कितने लाठी,गुम्मा,डण्डे मारे मुझे याद नही है। पांच मिनट मे ज्यादा से ज्यादा 4,4,6,6 लाठी डण्डों ईटा गुम्मा पत्थर से मारा है। अभियुक्तगण भरपूर ताकत लगाकर मेरे पिता जी को मार रहे थे मेरे पिता जी जगपाल लोधी के दरवाजे पर ही गिर गये थे और वही पर मर गये थे। पिता के मरने के बाद मुझे वही पता चल गया था जब मुल्जिमान मेरे पिता को मारपीट कर चले गये थे तो मै नजदीक आया था मौके पर तमाम लोग आ गए थे तब मेरे पिता जी को बब्लू आदि मार रहे थे तो किसी ने बीच–बचाव नही कराया था जब अभियुक्तगण भाग गये तब लोग मौके पर आये थे। थाने मै चार बजे पहुॅच गया था दरख्वास्त मैने गांव मे ही लिखवाई थी किसने लिखी थी नाम नही पता मै पढ़ा लिखा नही हूॅ। थाने पर मेरे साथ गांव के जगपाल और मै गया था जगपाल की मोटरसाइकिल से गया था जगपाल बब्लू आदि ने परिवार से पहले से रंजिश चलती है इसीलिए जगपाल मेरे साथ गया था। कालीचरन झगड़े मे नही थे वह दो साल पहले मर चुके थे। कालीचरन के लड़के का नाम दीपू,सोनू,सुभाष,बब्लू है। कालीचरन के बाप का नाम सुखदीन था जो काफी पहले मर चुके थे। थाने पर दरख्वास्त देने पर तुरन्त मेरा मुकदमा लिख लिया गया था। मुकदमा लिखने के बाद मुझे उस समय कापी नही मिली थी पुलिस ने मुझसे यह बता दिया था कि मुकदमा लिख लिया गया है। पुलिस मेरे साथ वापस नही आई थी। मेरे सामने पुलिस मेरे घर नही आई थी। मेरी डाक्टरी मेरी चोटों की डाक्टरी असोहा थाने मे हुई थी। डाक्टरी कराने के बाद मै आधी रात के समय घर आया था जब मै घर पहुॅचा था तो मेरे पिता का शव उन्नाव आ चुका था। मै पंचायतनामा जानता हूॅ वह मेरे सामने नही हुआ था न पंचनामें की लिखा

पढ़ी मेरे सामने नही हुई थी न ही मेरे हस्ताक्षर है पुलिस ने मेरा बयान घटना के दूसरे या तीसरे दिन लिया था पुलिस ने नक्शा–नजरी बनाई थी मुझे नही पता। मेरे सामने नही बनाई थी। यह कहना गलत है कि बहादुर का नाम मैने लोगों के कहने पर लिखवा दिया हो। यह भी कहना गलत है कि शराब के नशे मे होने के कारण मेरे पिता लहराकर ईटों पर गिर गये हो और गिरने से आई चोट के कारण मेरे पिता की मृत्यु हो गयी हो। यह भी कहना गलत है कि शराब के नशे मे गिरने के कारण मेरे पिता के केवल एक ही चोट आई हो। अग्रेतर जिरह मे उक्त साक्षी ने कथन किया कि रामचरन मेरे चचेरे भाई है राजवती मेरी चचेरी भाभी है। जगपाल भी मेरा चचेरा भाई है। रामस्वरूप,रामजीवन चचेरे भाई है। चन्दू,नन्दू, मेरे भतीजे लगते है। कमल घटना के 08 साल पहले गुड़गांव मे रहते थे रोजी–रोटी कमाते थे। घटना के पहले नवरात्रि मे कमल ने अपनी ससुराल मे मुण्डन संस्कार कराया था मुझे याद नही। धनतेरस को कमल गांव आया था या नही मुझे पता नही। कमल दीवाली मे मेरे गांव मे था जो घटना घटित हुयी है वह परेवा वाले दिन की है। कमल दीपावली मकान के बाद शाम को गया था या रहा था मुझे जानकारी नही है। मेरे भाई शत्रुघन है मेरे पिता जी खाने वाले पान मसाला की दुकान किये थे। परेवा वाले दिन मेरे बाप की दुकान से मसाला लेकर गया था या नही मेरे सामने नही गया था। मसाला खाकर मेरे भाई के साथ मोटर साइकिल से गांव उमेदखेड़ा बली के घर मुर्गा लेने गये थे। मुझे नही पिता जी कमल से दारू मंगाये थे या नही मुझे नही पता। मुर्गा पकने के बाद मेरे पिता जी के साथ कमल व बहादुर हमारे सामने नही खाया था। कमल के पिता चार भाई है। कल्लू,श्रीकृष्ण, कालीचरन व मुन्ना है। कमल व मुन्ना का भाई मे मेलजोल आपस मे है। कालीचरन व श्रीकृष्ण से कमल व मुन्ना से कोई लेना देना नही है क्योंकि आपस मे लड़ाई झगड़ा करते रहते है। तीज त्यौहार व कामकाज मे एक दूसरे के यहां आते जाते नही है लेकिन जब मेरे पिता जी का मर्डर होने के उपरानत ये आपस मे मिलजुल कर रह रहे है। कमल मुझसे व मेरे पिता जी से लगाव रखता था। व्यवहारी आदमी है। मैने नही सुना था कि एक थाली मे खाना खाये हो या नही। श्रीकृष्ण की पत्नी माधुरी ने मेरे परिवार के खिलाफ एस.सी./एस.टी. एक्ट का मुकदमा लिखाया था। श्रीकृष्ण बब्लू से यही मेरी रंजिश है। इसी रंजिश के कारण घटना हुई और मेरे पिता की मृत्यु हुई। श्रीकृष्ण के खिलाफ लिखाई गई थी लेकिन प्रमुख होने की वजह से लिखी नही गयी। इस घटना के मुख्य गुनाहगार श्रीकृष्ण ही है। श्रीकृष्ण शराबी व्यक्ति है वह नशे मे होकर मुझको अभी भी खाली

बकता है। गाली देने की वजह से हम लोगों ने उसे मारा था ताकी यह सुधर जाये। कमल दिवाली को दिल्ली गुड़गांव से आठ साल बाद आया था। कमल की मेरी कोई दुश्मनी नही थी। हम लोग टेंट का काम साथ मे करते थें। घटना वाले दिन ही 10–15 मिनट पहले लगभग तीन बजे बौरे के दरवाजे बब्लू,बहादुर,दीपू, निर्मला,चन्दू से झगड़ा हुआ था मैने दूर से कहा था कि आज त्यौहार है लड़ाई न करों,फिर इन्होने उनको छोड़कर मेरी भौं पर ईटा मार दिया और मै वही जगह गिर गया जब मै गिर गया था तो मेरे पिता जी उठाकर ले गये थे उसी वक्त उपरोक्त लोगों ने मुझे व मेरे पि जी को घेर लिया था और घटना घट गयी मेरा खून बन्द नही हुआ जब तक इलाज नही हुआ खून बहने के दर्मियान मै अर्धविचित्र था, पूरे कपड़े खून से भर गये थे जहां घटना घटी व वहां पक्की ईट की चट्टे लगी थी। यह कहना गलत है कि मेरे मृतक पिता जी अत्यधिक शराब के नशे मे थे पैर फिसलने से खोपड़ी के बल ईटों पर गिर गये और उन्ही ईटों की वजह से गम्भीर चोट आ गयी और उनकी मृत्यु हो गयी। यह भी कहना गलत है कि कमल घटना स्थल पर मौजूद नही था वह अपने घर पर खाना खा रहा था। यह भी कहना गलत है कि दूसरे के कहने पर कमल का नाम एफ.आई.आर मे लिखा दिया। यह भी कहना गलत है कि आज न्यायालय मे झूॅठी गवाही दे रहा हूॅ।

16– अभियोजन की ओर से **रामचरन** को बतौर **पी.डब्लू–2** परीक्षित कराया गया। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि, घटना दिनांक 15.11. 2020 समय करीब दिन के तीन बजे की है। मै अपने भाई जगपाल के दरवाजे पर बैठा था उसी समय गांव के रामलाल लोधी भागते हुये आये उनके पीछे–पीछे हाथों मे ईट पत्थर लाठी डण्डा लेकर दौड़ाते हुये बब्लू,बब्लू का भाई दीपू,बब्लू की पत्नी निर्मला तथा गांव के कमल पासी व बहादुर पासी घेरकर मारने लगे,मै बचाने के लिए दौड़ा तो मुझे भी मारने लगे,मुझे भी चोट आ गयी थी मै थोड़ा पीछे हट गया था तब तक रामलाल को काफी चोटे आ गयी थी। वे मौके पर ही गिर गये थे और उनकी मौके पर ही मौत हो गयी। उक्त अभियुक्तगण जान से मार देने की धमकी देते हुये भाग गये थे। मुझे जानकारी हुयी थी कि रामलाल को बउवा के घर से दौड़ाते हुये लाये थे वहां पर रामलाल के लड़के सत्य नरायण भी चोटहिल हो गये थे। पुलिस ने मेरा बयान लिया था।

17– साक्षी ने जिरह में कथन किया कि इस मुकदमें का समन मुझे मिला था मेरे लड़के का नाम राजेश है। राजेश से पहले मेरा मुकदमा चला था। अब नही चल रहा है। राजेश मेरे साथ नही रहता है।, अपने ममाने मे रहता है। मैने अपने

लड़के राजेश को घर से नही भगाया है। वह खुद भाग गया है। यह कहना गलत है कि अपने लड़के राजेश को मैने घर भगाया हो और बब्लू,दीपू, द्वारा रोकने पर उनके रंजिश मानता हो। मुझे इस घटना की तारीख याद नही है दिन भी याद नही है। दीपावली का भोर था। मे किसानी करता हूॅ। मेरे पास 4–6 बिस्वा खेती है। मै खेती बटाई पर देता हूॅ। खेती करने कभी सुबह,कभी दोपहर और कभी शाम को जाता हूॅ। घटना के समय मेरे खेत मे लाही लगी थी मुझे दिशाओं का ज्ञान है मेरे घर के पूरब मे मेरे भाई का मकान है फिर कहा कि बब्लू का मकान है। पश्चिम दिशा मे मेरे भाई जगपाल का मकान है उत्तर मे कल्लू कहार का मकान है दक्षिण मे पेड़ खड़े है। घटना वाले दिन मै घर पर ही था। वादी मुकदमा सत्य नारायन मेरे गांव के है। इनका मकान मेरे घर से पश्चिम दिशा मे लगभग 100 मीटर दूरी पर है। मेरे घर के दरवाजे से सड़क लगी हुई है। घटना के समय मै बाहर ही बैठा था। बाहर मेरे साथ कोई नही था। मेरे दरवाजे पर मृतक रामलाल को रपटाते हुए आठ आदमी लाये थे। उन आठ आदमियों के नाम बब्लू,दीपू,कमल, बहादुर,निर्मला,मुन्ना,किशोरी,पूजा थे। मारपीट के समय डर के मारें वहां कोई नही आया। पूजा व अन्य तीन लोग जो मुल्जिम नही है ने बीच–बचाव नही किया वो लेग मार भी नही रहे थे गालियां दे रहे थे। मैने हाथ जोड़कर मना किया और बीच–बचाव किया। बब्लू,दीपू, व निर्मला लाठी डंडा,ईटा पत्थर सब लिये हुए थे। मेरे सामने इन लोगों ने लाठी डंडा,ईटा पत्थर से अनगिनत बार मारा। मैने गिना नही था। मेरे मना करने पर इन लोगों ने मुझे भी मारा। एक ईटा मेरी ऊॅगली और एक पेट मे लगा। मैने अपनी चोटों का मेडिकल नही कराया था। मेरे साथ मारपीट के बारें मे मैने पुलिस को बताया था। इन लोगों ने रामलाल को दस मिनट मारा था। मारपीट करके ये लोग चले गये थे इन लोगों के जाने पर मैने रामलाल की चोटे नही देखी। वो मरे पड़े थे जगपाल के हारे पर खून पड़ा था। पुलिस एक–डेढ़ घंटे बाद आ गई थी। पुलिस लाश उठाकर ले गयी थी लाश के साथ मै थाने नही गया था। पोस्टमार्टम मे भी मै नही गया था। पुलिस ने मेरा घटना के 4–5 दिन बाद गयान लिया था जो बातें आज मैने बताई है वही सब मैने दरोगा जी को बता दी थी। दरोगा जी ने बयानों पर मेरे दस्तखत नही कराये थे। लाश के साथ कौन–कौन गया था मै नही बता सकता हूॅ। मृतक रामलाल शराब नही पीते थे मै भी शराब नही पीता हूॅ। घटना के बाद वादी सत्य नरायन से मेरी रोज मुलाकात होती है। यह कहना गलत है कि मै सत्य नरायन के कहने पर आज यह गवाही दे रहा हो। यह भी कहना गलत है कि मैने कोई घटना होते न देखी हो और सिखाने

से बयान दे रहा हो। यह भी कहना गलत है कि अभियुक्तगण ने कोई अपराध न किया हो,बल्कि मृतक रामलाल शराब के नशे मे गिर कर चोट खा गया हो और उसी से उसकी मृत्यु हो गयी हो। मै रामलाल के चाचा का लड़का नही हूॅ। मै चार भाई हूॅ। सत्यनरायण मेरे भाई नही है। मेरे भाई का नाम रामबरन,लाला, रामचरन,जगपाल है। मै श्रीकृष्ण को जानता हूॅ। शराबी किस्म का है वह जब तब दारू पीता है। राम लाल और अभियुक्तों के बीच जो लड़ाई झगड़ा हुयी थी मैने नही देखां यह कहना गलत है सत्य नरायण का मेली मददगार होने के कारण झूॅठी गवाही दे रहा हूॅ। यह भी कहना गलत है कि परेवा वाले दिन राम लाल शराब के नशे मे होने के कारण चबूतरे से ईटे पर गिर गया उसी चोट के कारण रामलाल की मृत्यु हो गयी। अग्रेतर जिरह मे उक्त साक्षी ने कथन किया कि मै घटना का दिनांक नही जानता,दिन भी नही जानता हूॅ मारने मे पांच लोग थे बब्लू,दीपू,कमल,निर्मला, व बहादुर इन लोगों से मेरी कभी लड़ाई नही चल रही है। सत्य नरायन मेरे व्यवहारी सत्यनरायन के पिता का नाम रामलाल था। यह मुझसे 10–15 साल बड़े थे रिश्ते मे मेरे चाचा लगते थे हम कुल चार भाई है बउवा का घ ार मेरे घर से 100–125 मीटर पर है। झगड़ा दिन मे करीब तीन बजे हुआ था। झगड़ा मेरे भाई जगपाल के दरवाजे पर शुरू हुआ था झगड़ा जब शुरू हुआ जब मौके पर मारने वाले कुल पांच लोग थे। रामलाल मृतक मेरे दरवाजे पर गिर पड़े थे। उनके गिरते ही सब लोग भाग गए मुझे नही पता अभियुक्तगण मे कौन–कौन अपने हाथों मे क्या–क्या लिये था लेकिन मैने मारते हुए देखा था झगड़े मे बहादुर भी था। झगड़े मे अभियुक्त बहादुर के हाथ मे कुछ नही था। मुझे नही पता कि मृतक रामलाल का लड़का सत्यनरायन कहां पर था घटना के समय मैने उसे नही देखा बहादुर के अलावा बाकी लोगों ने कितनी देर तक रामलाल को मारा था यह नही बता सकता रामलाल के दो लड़के है जिनका नाम सत्यनरायन व शत्रुघन है। मृतक रामलाल का दूसरा लड़का शत्रुघन भी मौके पर नही था पुलिस ने मेरा बयान लिया था। राम लाल के मरने के करीब चार पांच दिन बाद मेरा बयान लिया था। दरोगा जी मेरा बयान लेने गांव आए थें रामलाल होली दिवाली शराब पी लेते थे। मै भी होली दिवाली पी लेता हूॅ फिर कहा जब कभी मूड बन जाता है पी लेता हूॅ। मैने राम लाल के शरीर पर आई चोटों को नही देखा था क्योंकि मै मौके पर नही गया था। यह कहना गलत है कि सत्यनरायन का व मृतक रामलाल का व्यवहारी होने के कारण व रिश्तेदार होने के कारण सत्यनरायन के कहने पर न्यायालय मे गवाही देने आया हूॅ। यह भी कहना गलत है कि मै मौके पर घटना वलो दिन ना

रहा हूँ इसलिए लोगों के बताने के अनुसार उल्टी पुल्टी गवाही दी।

18– अभियोजन की ओर से **जगपाल** को बतौर **पी0 डब्लू0–3** परीक्षित कराया गया। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि,घटना दिनांक 15.11.2020 को समय दिन के तीन बजे की है। मै अपने दरवाजे पर बैठा था उसी समय गांव के ही रामलाल लोधी को मेरे गांव के बब्लू पासी,बब्लू की पत्नी निर्मला, बब्लू का भाई दीपू,कमल, व बहादुर दौड़ाते हुए लाए थे तथा उसे ईटा पत्थर व लाठी डण्डों से पीट–पीट कर मार डाला। राम लाल की मौत मौके पर ही हो गयी थी। बचाने के लिए मै दौड़ा था तो अभियुक्तगण ने मुझ पर भी हमला कर दिया था तो मै भाग कर जीने के नीचे छिप कर अपनी जान बचाई थी। उसके बाद अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए थे। पुलिस ने मेरा बयान लिया था।

19– इस साक्षी ने जिरह मे कथन किया कि रामलाल मृतक मेरे कोई नही है मेरा इनसे कोई रिश्ता नही है। रामचरन मेरे सगे भाई है जो मेरे घर के बगल मे रहते है। सरजू प्रसाद मेरे सगे भाई है जो मेरे घर के बगल मे रहते है। सरजू प्रसाद व रामचरन का घर मेरे घर से मिला हुआ है। मेरे सगे भाई रामचरन के घर से मिला हुआ है। अभियुक्तगण बब्लू व दीपू का घर है मेरी बिरादरी व रामलाल की बिरादरी नही है। लोधी बिरादरी है। मेरे घर के सामने मेरा सहन है सहन खुला हुआ है सहन के बाद पक्का खडंन्जा है मै किसानी का काम करता हूँ मेरी निजी खेती पौने चार बिस्वा है बाकी बटाई कर लेता हूँ। जब काम होता है तब खेतों पर जाता हूँ। बाकी समय घर पर रहता हूँ। खेती के अलावा मै मजदूरी का भी काम करता हूँ मृतक रामलाल का मकान मेरे मकान से 100 मीटर दूरी पर है। मै पढ़ा लिखा नही हूँ और दिशाओं का ज्ञान भी नही है। घटना के समय खेतों मे कोई फसल नही बोई गयी थी घटना वाले दिन मै मजदूरी करने नही गया था। मेरे घर मे मेरी पत्नी सरस्वती लड़का करन उम्र 22 साल पुत्री नीलम उम्र 15 वर्ष घर पर थे घटना के समय मै खाना खा चुका था और अपने दरवाजे पर बैठा था मेरे साथ नीलम,करन,सरस्वती तीनों लोग बैठे थे आस पड़ोस का कोई व्यक्ति साथ मे नही बैठा था। मैने शोरगुल की कोई आवाज नही सुनी रामलाल मेरे दरवाजे पर आकर गिरे रामलाल शराब नही पीते होली दिवाली पर भी नही पीते है। रामलाल करीब 55 साल के रहे होगे गांव मे रहने के कारण मै रामला की गतिविधियां अच्छी तरह से जानता हूँ। रामलाल के गिरने पर मैने उन्हे नही उठाया था। रामला को मारने वाले लोग हाथों मे लाठी डण्डे व ईटा पत्थर लिये थे इन लोगों ने रामला को लाठी

डण्डो व ईटा पत्थरों से बहुत मारा जिससे रामला की मृत्यु हो गयी। रामलाल की जब मृत्यु हो गयी थी तब मैने उनको हिला डुलाकर देखा था मैने चोटे नही देखी वह मारते–मारते मर गये थे। मै उनके नजदीक नही गया। किसी ने उनको बचाया नही अभियुक्तगण मारपीट कर भाग गए थे मारपीट मिनट दो मिनट तक हुई थी मारपीट के काद जब अभियुक्त चले गये तो गांव के काफी लोग मौके पर आ गए थे। पुलिस 2,3 घंटे बाद आ गयी थी। पुलिस मृतक रामलाल को उठाकर ले गयी मै लाश के साथ थाने नही गया था। मै थाने नही गया था पुलिस ने मेरा बयान तीन दिन बाद लिया था। घटना के सम्बन्ध मे मुझे मेरे बाबा का नाम मालूम नही है। यह कहना गलत है कि रामलाल मेरे चचेरे भाई है और इसी वजह से मै झूॅठा बयान दे रहा हूॅ। यह भी कहना गलत है कि रामलाल शराब पीने के आदी थे। शराब पीकर गाली–गलौज कर रहे थे और उस शराब के नशे मे होने के कारण खडंन्जे पर गिर गये और सिर मे चोट लगने से उसकी मृत्यु हो गयी। यह भी कहना गलत है कि रंजिशन अभियुक्तगणों को झूॅठा मुकदमें मे फंसा दिया गया। अग्रेतर जिरह मे उक्त साक्षी ने कथन किया कि घटना किस वर्ष की है मुझे नही पता तारीख मुझे याद है। 15 तारीख महीना 11 था मैने अदालत मे आज अपनी उम्र 45 वर्ष बताई है इस मुकदमें के सम्बन्ध मे तीन साल पहले मैने पुलिस को कोई बयान नही दिया था अगर पुलिस ने मेरा बयान लिखा हो तो मै इसकी कोई वजह नही बता सकता। पुलिस ने यदि मेरे बयान मे 50 वर्ष मेरी उम्र बताई हो तो मै इसकी वजह नही बता सकता क्योंकि मैने पुलिस को ऐसा कुछ नही बताया था। मैने अपने बयान मे यह बात बताई है कि घटना के समय मै अपने दरवाजे पर बैठा था मेरे साथ मेरा लड़का करन,लड़की नीलम और मेरी पत्नी सरस्वती थी यह कि मेरे साथ दरवाजे पर इतने लोग साथ–साथ बैठे थे आज से पहले यह बात किसी को नही बताई मेरे परिवार के अलावा और कोई नही बैठा था। मै अभियुक्त बहादुर को जानता हॅू मेरा घर बहादुर के घर से लगभग 150 फुट दूरी पर होगा अभियुक्त बब्लू दीपू भाई का घर रामचरन के घर के बगल मे है मेरे भाई रामचरन का घर मेरे घर से लगा हुआ है। मुझे यह नही पता है कि मृतक रामलाल व उसके पुत्र सत्यनरायन का झगड़ा अभियुक्तगण से किस बात पर हुआ था। मृतक रामला का घर मेरे घर से लगभग 100 मीटर दूरी पर है मृतक रामलाल अपने घर की तरफ से भागते हुए मेरे घर की तरफ आ रहे थे उस समय सत्य नरायन मौके पर नही था रामलाल मेरे दरवाजे पर पकड़े गए। रामलाल को बब्लू,कमल,दीपू,बहादुर, निर्मला ने पकड़ कर मारा मैने यह नही देखा की किस अभियुक्त के हाथ मे क्या

क्या हथियार है। अभियुक्तगण जहां पर रामलाल को मार रहे थे उस स्थान से मै 10 फिट दूरी पर था। मैने राम लाल को बचाया नही था और कोई भी राम लाल को बचाने नही आया था क्योंकि कोई भी मौके पर नही था। रामलाल को अभियुक्तगण ने एक मिन दो मिनट मारा होगा और रामलाल मौके पर मर गए मैने बाद मे भी नही देखा था कि मृतक रामलाल के शरीर मे कितनी चोटे थी। मृतक राम लाल के मरने के बाद भी मै अपने बरामदे पर बैठा रहा मृतक रामलाल का लड़का सत्यनरायन मौके पर कितनी देर बाद आया मैने नही देखा। सत्यनरायन मौके पर आया ही नही था। बहादुर से मेरी बोलचाल पहले थी यह घटना होने के बाद अब बोलचाल बन्द है। घटना का मुकदमा मेरे ही दरवाजे पर लिखा गया था घटना के सम्बन्ध मे थाने से पुलिस 2/3 घंटे बाद आयी थी मै शराब नही पीता मै नही जानता कि रामलाल होली दिपाली शराब पीते थे यह कहना गलत है कि सत्य नरायन व मृतक रामला का मेली मददगार होने के कारण मै आज अदालत मे झूॅठी गवाही दे रहा हूॅ। अग्रेतर जिरह मे उक्त साक्षी ने कथन किया कि मै गांव के कमल को जानता हूॅ कमल 8/10 साल से गुड़गांव मे मजदूरी पेशा करते है मुझे नही मालूम कि कमल ने अपनी ससुराल मे अपने लड़के का मुण्डन कराया था जिस दिन दिपाली थी उस दिन देखा था इसके पहले मैने कमल को नही देखा क्योंकि वह यहां रहते नही थे। बाहर रहने के कारण कमल के सम्बन्ध रामलाल,सत्यनरायन आदि से अच्छे थे मुझे नही मालूम कि बब्लू व रामलाल से कोई मारपीट लड़ाई झगड़ा आदि हुआ हो। यह भी नही मालूम कि कमल से लड़ाई झगड़ा मारपीट हुई हो। यह कहना गलत है कि जाति बिरादरी होने के कारण अदालत मे आज झूॅठा बयान दे रहा हूॅ।

20— अभियोजन की ओर से **डा0फैज़ल जुबैर** को बतौर **पी0 डब्लू0—4** परीक्षित कराया गया। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि, दिनांक 16.11.2000 को मै मोर्चरी ज़िला अस्पताल उन्नाव मे ड्यूटी पर तैनात था। उक्त तिथि को 12:10 पी.एम. पर मृतक श्री राम लाल के पोस्टमार्टम की रिकवेस्ट प्राप्त हुई। उक्त दिनांक को 12:30 पी.एम पर पोस्टमार्टम शुरू कर के 1:10 पी.एम. पर पोस्टमार्टम समाप्त किया। शव को लाने वाले सी.पी. अतुल कुमार व सी.पी. विकास वर्मा थाना असोहा उन्नाव थे। शव की पहचान मृतक के बेटे शत्रुघन ने की थी। मृतक रामलाल पुत्र स्व0.ननकऊ,निवासी बजरंगखेड़ा थाना असोहा ज़िला उन्नाव की उम्र 60 वर्ष पुरूष जिसकी लम्बाई 153 से.मी. बनावट औसत मध्यम काठी थी।

मृत्यु पश्चात अकड़न गर्दन से निकल गयी थी अपर और लोवर अंगों मे

अकड़न मौजूद थी। पी.एम.स्टैनिंग पीठ व कूल्हों पर मौजूद थी। शव की दोनों ऑखे थोड़ी खुली हुई थी व मुख बन्द था। नाखून साइनोज्ड थे।

<u>मृत्यु पूर्व चोटे–</u>

1. फटा हुआ घाव (लेसरेटेड ऊड) 5 से.मी. गुणे 1से.मी. बांये कान से 8 से.मी. ऊपर (बोन डीप) बांय पैरेक्टिलक रीजन पर था।

आन्तरिक परीक्षणः–

मस्तिष्क की झिल्यिां व मस्तिष्क कनजेस्टेड था Intracanial Haematone मौजूद था करीब 150 एम.एल. खून का धक्का दोनों तरफ के फेफड़े व फेफड़े की झिल्लियां कनजेस्टेड थी। हृदय का दाहिना चैम्बर भरा हुआ था। बांया खाली था। आमाशय मे लगभग 500 ग्राम अधपचा भोजन मौजूद था व Mucous membrane normal था। छोटी आंत मे पेस्ट व गैसेस मौजूद थी बड़ी आंत मे मल व गैसेस मौजूद था। Liver Congested था। व गाल ब्लेडर आधा भरा हुआ था। स्पलीन कनजेस्टेड थी किडनी दोनों तरफ के कनजेस्टेड थे व बांये गुर्दे मे एक Fluid cost 1 C.M.x2C.M. मौजूद थी। मृत्यु का सम्भावित समय लगभग एक दिन का था। मृत्यु का तात्कालिक कारण कोमा था जो कि मृत्यु पूर्व सर मे लगी चोट था मृतक की मौत दिनांक 15.11.2020 को लगभग 15:00 बजे की होना सम्भव है। मृतक को आयी चोट लाठी डंडे से आना सम्भव है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे लेख व हस्ताक्षर मे है जो पत्रावली पर मौजूद कागज संख्या–क2/1 ता क2/3 है जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया।

21– जिरह मे इस साक्षी ने कथन किया कि मुझे याद नही है कि मृतक के कान के ऊपर लगी चोट मे खून जमा था या नही चोट पर ब्लड होगा। मृतक की मृत्यु दिनांक 15.11.2020 को दिन मे 12 से एक बजे होने की सम्भावना है। पोस्टमार्टम के समय मृतक का वेट लिया जाता है परन्तु उस समय वेट मशीन उपलब्ध न होने के कारण वजन नही लिया जा सका था। मृतक के आमाषय मे पाया गया आधा पचा खाना मृत्यु के 4–6 घंटे के अन्दर खाया गया होगा। मृतक के शरीर पर एक चोट के अलावा और चोट नही पायी गयी थी मृतक को पायी गयी किसी सख्त चीज से ईटा पत्थर लाठी डंडा से आना सम्भव है। मैने जो पोस्टमार्टम किया है मृतक राम लाल का उसके शरी मे पोस्टमार्टम के समय एक चोट के अलावा कोई अन्य दूसरी चोटे नही मिली। मृतक के सर मे पाई गयी चोट

गिरने की हालत मे आना सम्भव है।

22– अभियोजन की ओर से **ओमप्रकाश रजक निरीक्षक** को बतौर **पी0 डब्लू0–5** परीक्षित कराया गया। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि, दिनांक 15.11.2020 को मै एस.एच.ओ असोहा प्रभारी निरीक्षक के पद पर नियुक्त था। उसी दिन मु.अ.सं–206 / 2020 धारा–302,147,336,323,506 भा.दं.सं बनाम बब्लू आदि पांच नफर अभियुक्तगण के विरूद्ध विवेचना ग्रहण की उसी दिन पर्चा संख्या–1 किता किया जिसमें नकल चिक नकल रपट,बयान एफ.आई.आर लेखक का. मो. जावेद अली का बयान अंकित किया। दिनांक 16.11.2020 को सी. डी.पर्चा संख्या–2 किता किया जिसमें मृतक रामलाल लोधी का शव जगपाल लोधी के घर के सामने चित अवस्था मे पड़ा हुआ था इसके आसपास परिवारीजन व गांव के बहुत से लोग इकट्ठा थे। परिवारीजन विलाप कर रहे थे जिन्हे काफी समझा बुझाकर आश्वस्त कराया गया मौजूद लोगों मे से पंचान नियुक्त कर पंचायतनामा की कार्यवाही की गई जिसमें नियुक्त पंचान मृतक का दशा शव,हुलिया शव पहनावा चोटे राय पंचान व स्वयं की राय व्यक्त की थी मृतक के सिर के पीछे चोट खूनालूदा थी जिसका पंचायतनामा मे मैने उल्लेख किया था मेरे व पंचान की राय मे मृतक रामलाल लोधी की मृत्यु मारपीट से लगी चोट के कारण मृत्यु होना था जिसे मैने पंचायतनामा मे उल्लेख करवाया था फिर भी मेरी व पंचान की राय मे मृत्यु का सही कारण जानने के लिए शव का पोस्टमार्टम कराये जाने की राय थी। मृतक राम लाल लोधी के शव को एक कपड़े मे रखवाकर सर्व सील मुहर कर नमुना मुहर कर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया था। पंचायतनामा मेरे द्वारा मौके पर सर्वेश कुमार से बोल–बोल कर लिखवाया गया था। पंचायतनामा पत्रावली मे संलग्न कागज संख्या–क7 / 4 लगायत क7 / 5 व पंचायतनामा के साथ संलग्न पुलिस प्रपत्र आर.आई.चिट्ठी, कागज संख्या–क7 / 6 सी.एम.ओ चिट्ठी कागज संख्या–क7 / 7,नमूना सील कागज संख्या–क7 / 8 फोटो लाश कागज संख्या–क7 / 9,चालान लाश कागज संख्या–क7 / 10, पर मेरे व मेरे अधीनस्थ एस. आई. सर्वेश कुमार के हस्ताक्षर है मै अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूॅ जिस पर प्रदर्श क–3 लगायत प्रदर्श क–8 डाला गया। नकल पंचायतनमा,तत्पश्चात फर्द नकल खूनालूदा व सादी मिट्टी रूबरू गवाहान जगपाल लोधी व रामचरन के समक्ष घटना स्थल से क्रमशः खूनालूदा व सादी मिट्टी को अलग–अलग डिब्बों मे रखकर सर्व सील मुहर कर उसकी लिखा–पढ़ी मेरे द्वारा की गई थी उपस्थित गवाहों के फर्द पर हस्ताक्षर बनवाए गए थे। फर्द खूनालूदा व सादी मिट्टी पत्रावली

मे शामिल कागज संख्या–क5/6 मेरे लेख व हस्ताक्षर मे है जिसकी मै पुष्टी करता हूँ जिस पर प्रदर्श क–9 डाला गया जिसका उल्लेख मैने सी.डी.पर्चा मे अंकित किया था तत्पश्चात बयान वादी मुकदमा सत्य नारायन का अंकित किया इसके उपरान्त निरीक्षण घटना स्थल का मौके पर जाकर किया और मौके पर ही नक्शा–नजरी बनाया घटना स्थल का नक्शा–नजरी पत्रावली दाखिल कागज संख्या–क8/1 मेरे लेख व हस्ताक्षर मे है जिस पर प्रदर्श क–10 डाला गया तथा वादी मुकदमा सत्य नरायन की इन्जरी रिपोर्ट का अवलोकन किया जिसको सी.डी. मे पर्चे मे अंकित किया। दिनांक 17.11.2020 को सी.डी.र्चा संख्या–3 किता किया जिसमें बयान गवाह रामचरन लोधी का बयान अंकित किया। मृतक रामलाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अवलोकन किया। अभियुक्तगण के हर मिलने वाले सम्भावित स्थानों पर तलाश किया दस्तयाब नही हो सके रामचन्द्र लोधी ने अपने बयान मे यह बताया कि 15.11.2020 को मै अपने भाई जयपाल के दरवाजे पर बैठा था समय करीब तीन बजे रामलाल लोधी भागते हुए आए विपक्षीगण बब्लू,बब्लू का भाई दीपू,बब्लू की पत्नी निर्मला तथा कमल,बहादुर अपने हाथों मे ईट पत्थर लाठी डण्डा लेकर पीछे–पीछे दौड़ाते हुए आए तथा घेर कर मारने लगे। मै दौड़कर बचाने लगा तो मुझे भी चोट लगी मै पीछे हट गया तब राम लाल को चोट लगी और वह गिर गए और उनकी मौके पर मृत्यु हो गई विपक्षीगण जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए उसका बयान का जिक्र मैने सी.डी. पर्चा पर अंकित किया। दिनांक 18.11.2020 को सी.डी.र्चा संख्या–4 किता किया जिसमें डाक्टर फैसल जुबैर का बयान अंकित किया जिसमें अपने बयान मे उन्होने बताया कि सिर पर चोट लगी थी सिर के अन्दर खून जम गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी सिर मे गहरा घाव था तथा चश्मदीद साक्षी जयपाल लोधी का बयान अंकित किया अपने बयान मे उन्होने घटना को अपने ऑखों से देखा जाना व घटना होना बताया जिसको मैने सी.डी. पर्चे मे अंकित किया। दिनांक 20.11.2020 को सी.डी. पर्चा संख्या–5 किता किया जिसमें मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण बब्लू पासी बहादुर पासी,दीपू पासी कमल पासी को जंगली खेड़ा नहर पुलिस से गिरफ्तार किया। अभियुक्तगणों ने पूँछतांछ मे आला कत्ल ईट के टुकड़े व डंडा बरामद कराया गया। अभियुक्तगण को साथ लेकर उनके बताए स्थान पर आया बब्लू पासी ने अपने घर के कोने से एक लकड़ी का डण्डा 06 बलिस्ता लम्बा तथा बहुादर ने वही पर खा ईटा उठाकर दिया तथा अभियुक्त दीपू पासी ने ईट का टुकड़ा,कमल पासी घटना स्थल के पास से ईट का एक टुकड़ा उठाकर दिया थ लकड़ी के डडे पर खून का

निशान दिखाई दे रहा था जिसको कब्जा पुलिस मे लिया गया था सभी को सर्व सील मोहर कर नमूना मुहर तैयार कर उसकी लिखा पढ़ी मेरे द्वारा दिनांक 20.11.2020 को की गई थी। अभियुक्तगण व उपस्थित लोगों के फर्द पर हस्ताक्षर करवाए गए थे। फर्द बरामदगी ईट के टुकड़े एवं लकड़ी का डण्डों पत्रावली मे शामिल कागज संख्या–क5/8 मेरे लेख व हस्ताक्षर मे है जिस पर प्रदर्श क–11 डाला गया तथा गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगण बब्लू,बहादुर पासी,दीपू कमल पासी के गिरफ्तारी के प्रपत्र कागज संख्या–क5/9 पर बने अपने हस्ताक्षर की मै पुष्टि करता हूॅ जिस पर प्रदर्श क–12 डाला गया जिसकी नकल मैने सी.डी. मे की थी। अभियुक्तगण बब्लू पासी,बहादुर पासी,दीपू पासी, कमल पासी, से पूॅछने पर अपने बयान मे गलती की मांफी मांगने हुए सफाई देना न्यायालय मे बताया जिसका मैने सी.डी. मे अवलोकन किया। दिनांक 02.12.2020 को सी.डी.पर्चा नम्बर–06 किता किया जिसमें अभियुक्ता निर्मला पत्नी बब्लू पासी ने न्यायालय मे आत्मसमर्पण किया जिसका मैने सी.डी.पर्चे मे अवलोकन किया उसी दिन मैने सी.डी पर्चा संख्या–7 किता किया उपरोक्त मुकदमें मे अभियुक्ता निर्मला के बयान लेने हेतु न्यायालय आया। न्यायालय से अनुमति लेकर अभियुक्तगण का बयान लिया गया इसको सी.डी.पर्चे मे अंकित किया। दिनांक 07.12.2020 को सी.डी.पर्चा संख्या–8 किता किया जिसमें अभियुक्ता निर्मला को रिमाण्ड हेतु न्यायालय से याचना की गई जिसको सी.डी.पर्चो में अंकित किया। दिनांक 16.11.2020 को सी.डी.पर्चा संख्या–9 किता किया जिसमें अभियुक्तगण बब्लू,कमल,बहादुर,दीपू,निर्मला की रिमाण्ड हेतु न्यायालय से याचना की गई। दिनांक 16.12.2020 को उसी दिन सी.डी.पर्चा 10 किता किया जिसमें गवाह पंचान रामचरण श्रीमती राजमनी,रामस्वरूप,शत्रुघन,रामसजीवन चश्मदीद गवाह चन्दू लोध व नन्दू लोध व का0.विकास वर्मा व का. अतुल कुमार का बयान लेकर पर्चे मे अंकित किया मुकदमें से संबंधित आला कत्ल से संबंधि विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रसीद प्राप्त हुई जिसका अवलोकन सी.डी.पर्चा नम्बर उपरोक्त मे किया। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की पावती रसीद पत्रावली मे संलग्न कागज संख्या–क5/11 है सी.डी.पर्चा संख्या–11 दिनांक 22.12.2020 को किता किया जिसमें अभियुक्तगण उपरोक्त बब्लू आदि पांच नफर की रिमाण्ड हेतु न्यायालय से याचना की गई तथा सी.डी. पर्चा संख्या–12 दिनांक 04.01.2021 को किया गया उसमें भी उपरोक्त अभियुक्तगण की रिमाण्ड हेतु न्यायालय से याचना की गई दिनांक 07.01.2021 को सी.डी.पर्चा संख्या–13 किता किया गया जिसमें बयान वादी बयान गवाहान व मेरे द्वारा एकत्र किये गये साक्ष्य संलग्न के आधार पर

अभियुक्तगण बब्लू,कमल,दीपू,बहादुर,निर्मला के विरूद्ध जुर्म धारा–302,147,336,323, 506,34 भा.दं.सं का अपराध साबित होने पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध आरोप–पत्र संख्या–04/21 दिनांक 07.01.2021 को माननीय न्यायालय मे प्रेषित किया गया। आरोप–पत्र पत्रावली मे दाखिल कागज संख्या–क3/11 लगायत क3/10 जिस पर मेरे हस्ताक्षर है जिसकी मै पुष्टी करता हूॅ जिस पर प्रदर्श क–13 डाला गया। उपरोक्त मुकदमें से संबंधित माल मुकदमांती थाना पैरोंकार असोहा के द्वारा पुष्टी करता हूॅ जिस पर प्रदर्श क–13 डाला गया। उपरोक्त मुकदमें से संबंधित माल मुकदमांती थाना पैरोंकार असोहा के द्वारा सर्व सील बन्द नमूना मोहर हालत मे प्रस्तुत किया गया जिसमें प्लास्टिक बोरी के उपर 1169–5–2020 पुरवा उन्नाव 206/20 धारा–302,147,323,336,506 भा.दं.सं थाना असोहा बब्लू आदि अंकित है। सफेद रंग की प्लास्टिक की बोरी पर वस्तु प्रदर्श–1 डाला गया जिसको न्यायालय की अनुमति से खोला गया लकड़ी के उपर लगे पर्चे पर मुकदमें से संबंधित उपरोक्त इबारत तथा प्रभारी निरीक्षक थाना असोहा उन्नाव व अभियुक्त बब्लू के हस्ताक्षर तथा इंचार्ज सी.जे.एम. दिनांक 20.11.2020 के हस्ताक्षर अंकित है। लकड़ी डण्डा पर वस्तु प्रदर्श–2 तथा सादी मिट्टी के डिब्बें पर वस्तु प्रदर्श–3 तथा खूनालूदा मिट्टी के डिब्बे पर वस्तु प्रदर्श–4 तथा ईट के टुकड़ों पर वस्तु प्रदर्श–5,6, व समूचे ईट के टुकड़े पर 07 तथा झोले पर 08 डाला गया।

23– जिरह मे उक्त साक्षी ने कथन किया है कि डण्डे की लम्बाई करीब 06 बालिश होगी। मै फुट मे इसकी लम्बाई नही बता सकता। डण्डे पर खून लगा था माल परीक्षण के लिए गया था माल परीक्षण के लिए मैने ही भिजवाया था। मै नही बता सकता कि माल (डण्डा) परीक्षण के कितने दिन बाद वापस आ गया था। बरामदशुदा डण्डे पर बब्लू अभियुक्त के अलावा अन्य किसी अभियुक्त का हस्ताक्षर नही है। बरामदशुदा ईटा मे से एक समुची ईट पर गुप्ता लिखा हुआ है। जिधर गुप्ता लिखा हुआ है उधर आधा किनारा टूटा हुआ है। इस समय याद नही है कि इन उपरोक्त तीनों ईटों पर खून लगा था कि नही ईटे भी विधि विज्ञान प्रयोगशाला जांच के लिए भेजी गई थी यह वापस कब आई मुझे जानकारी नही क्योंकि मेरा स्थानान्तरण हो गया था बरामद शुदा ईटो की प्लास्टिक की बोरी पर हस्ताक्षर नही है सील किये गये कपड़ों पर हस्ताक्षर बने है। खूनालूदा मिट्टी के डिब्बे पर 16.11. 2020 लिखा हुआ है। पंचायतनामा वाले दिन ही खूनालूदा मिट्टी ली गई थी नमूना भी 16.11.2020 को लिया गया था। पंचायतनामा घटना के दूसरे दिन हुआ है। मै

नही बता सकता कि जांच पर भेजे गए माल की एफ.एस.एल. रिपोर्ट आई है कि नही पत्रावली मे देखने से विधि विज्ञान प्रयोगशाला से कोई एफ.एस.एल. रिपोर्ट पत्रावली मे संलग्न नही है। बरामद माल का नक्शा–नजरी मैने बनाया है कि नही मुझे याद नही। सूचना मिलते ही मै मौके पर पहुँचा गया था गांव के बहुत से लोग इकट्ठा थे मृतक का शव चित अवस्था मे पड़ा था। मृतक के शरीर से एक जाहिरा चोट थी लाश मौके पड़ी रही पंचायतनामा दूसरे दिन भरा गया था। पंचायतनामा की कार्यवाही करने पर समय एक घंटा लगा था। पंचायतनामा सुबह 06 बजे प्रारम्भ होकर सात बजे समाप्त हो गया था। जितने लोग मौके पर मौजूद थे उनके किसी के जाहिरा चोट नही थी। जब पहुँचा तो मौके पर वादी मौजूद नही था। वादी के अलावा मृतक रामलाल का मेडिकल / पोस्टमार्टम हुआ है। गवाहों के बयान पंचायतनामा के अगले दिन व एफ.आई.आर लेखक का बयान उसी दिन लिया था। नक्शा–नजरी घटना के दूसरे दिन बनायी थी। जिस दिन पंचायतनामा हुआ उस दिन खूनालूदा व सादी मिट्टी का नमूना तैयार किया था। अभियुक्तगणों को घटना के पांचवे दिन गिरफ्तार किया था। अभियुक्ता निर्मला ने न्यायालय मे आत्मसमर्पण किया था। घटना स्थल से अभियुक्तगणों का घर कितनी दूर है यह नही बता सकता। मृतक व वादी का घर घटना स्थल के पास ही है वह कितनी दूर है सही दूरी नही बता सकते। घटना स्थल के दक्षिण दिशा मे रामचरण,जगपाल व सरजू प्रसाद के घर है। उत्तर मे खड़ंजा है। खडंजा से घटना स्थल तीन कदम की दूरी पर है। घटना स्थल व खड़ंजे के बीच मे नाली भी बनी है। जगपाल और रामचरन का बयान लिया है। सरजू प्रसाद का लिया है या नही यह याद नही है। यह बात हमे नही पता है कि रामचरन,सरजू प्रसाद,जगपाल मृतक के रिश्तेदार है। मृतक जगपाल के सहन मे पड़ा हुआ था। जगपाल के घर का दरवाजा सामने लगा हुआ है। घटना स्थल की नक्शा–नजरी वादी की निशानदेही पर बनायी है अन्य गवाहों ने इसकी पुष्टि की है। घटना स्थल के आसपास और भी लोगों के मकान बने हुये है। रिपोर्ट लिखाने वादी के साथ कौन–कौन आया था मै नाम नही बता सकता। यह कहना गलत है कि मै घटना स्थल पर नही गया सारी लिखा पढ़ी थाने पर बैठ कर करी। यह भी कहना गलत है कि झूँठा आरोप–पत्र प्रेषित किया। घटना स्थल पर पक्की ईटे गरी थी। नक्शा–नजरी मे नही दर्शाया है। ईटे की टुकड़ों पर कुछ भी प्रतीत नही हो रहा ऐसा मैने फर्द बरामदगी बरामदगी मे वर्णिन किया है। लकड़ी के डण्डे पर खून के निशान लगे थे। घटना स्थल पर करीब 6:–6:30 बजे पहुँच गया था। पंचायतनामा की कार्यवाही अगले दिन प्रारम्भ की थी।

मैने पंचायतनामा के प्रथम कालम मे घटना का दिनांक व समय लिखा है लेकिन जांच आरम्भ करने का समय अंकित नही किया गया है। घटना वाले दिन मै कितने बेज घटना स्थल पर पहुॅचा वास्तविक समय नही बता सकता। घटना घटित वाले दिन एफ.आई.आर लेखक का बयान लिया था अन्य किसी गवाहान का बयान दर्ज नही किया था। घटना वाले दिन मै पूरी रात घटना स्थल पर रहा था मै रात मे घ टना स्थल पर निवास किया हूँ जिसका कोई प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध नही है। यह कहना गलत है मै शुद्ध विवेचना नही किया हूँ। अग्रेतर जिरह मे उक्त साक्षी ने कथन किया है कि कथित घटना की एफ.आई.आर दर्ज होने के समय मै एस.एच. ओ असोहा के पद पर तैनात था। वादी मुकदमा की तहरीर मेरे आदेश से दर्ज नही हुयी थी बल्कि वह स्वयं लेकर कार्यालय थाना गया था। एफ.आई.आर दर्ज होने के बाद मुझे यह विवेचना मिली थी। विवेचना ग्रहण करने के बाद मैने एफ.आई.आर लेखक के बयान दर्ज किये थे तथा जिल्द पंचायतनामा व आवश्यक सामग्री लेकर गया था। घटना स्थल पर मै गया था। पंचायतनामा की कार्यवाही मेरे निर्देशन मे एस.आई.सर्वेश कुमार राणा ने की से बोल बोल कर लिखाई थी। पंचायतनामें के समय मै मौके पर मौजूद था। शव को मैने देखा था शव चित अवस्था मे पड़ा था शव जगपाल के घर के सामने पड़ा था। घटना स्थल मुझे ठीक से याद है। जगपाल के घर के दाहिने किसका मकान है यह मुझे याद नही है। बायं हाथ भी किसका मकान था मुझे याद नही नक्शा–नजरी देखकर बता सकता हूँ। घटना स्थल के आसपास कितने मकान है सही संख्या नही बता सकता काफी मकान है। यह याद है कि घटना स्थल आबादी के बीच मे था। घटना स्थल से अभियुक्त बहादुर का घर 100मीटर के दायरे मे है आला कत्ल के रूप मे डण्डा,02 ईट के टुकड़े और एक पूरा ईट बरामद हुआ था। एक डण्डा था बरामद आला कत्ल मौके पर ही सील सर्व मोहर कर लिया था। दौरान मुकदमा बरामद आलाकत्ल मैने फोरेंसिंक जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ भेज था। विवेचना मे मुझे पूर्व की रंजिश के काण घटना कारित करने का साक्ष्य मिला है। यह भी पता चला था कि जुलाई माह मे दोनों पक्षों मे लड़ाई हुयी थी पूर्व मे लड़ाई होने के सम्बन्ध मे मुझे वादी सत्यनरायण व किसी अन्य गवाहान ने बताया था। लिखित मे कोई प्रमाण नही मिला था रंजिश का। पूर्व मे दोनों पक्षों के मध्य 107/116 द.प्र.सं की कार्यवाही करने का प्रमाण मिला था जिसे मैने दौरान विवेचना सी.डी. मे संलग्न नही किया है। यह मुझे याद नही है कि 107/116 दं.प्र.सं की कार्यवाही मे अभियुक्त की ओर से कितने लोग शामिल थे। विवेचना के दौरान मुझे पता चला

था कि अभियुक्त बब्लू के हाथ मे डण्डा अभियुक्त बहादुर के हाथ मे पूरी ईट,कमल व दीपू के हाथ मे ईट के टुकड़े थे। महिला अभियुक्त के हाथ मे निर्मला कुछ होना नही पाया गया था। मृतक रामलाल के केवल एक जाहिरा चोट थी इसके अलावा कोई और चोट का निशान मैने नही देखा है। यह कहना गलत है कि मैने थाने पर बैठकर विवेचना की है। यह भी कहना गलत है कि वादी मुकदमा के प्रभाव मे आकर सही विवेचना नही की है। यह भी कहना गलत है कि मैने घटना स्थल का नक्शा–नजरी मौके पर जाकर ना बनाया हो बलिक वादी मुकदमा से थाने पर पूॅछकर बना दिया हो।

24– अभियोजन की ओर से **डा0 बी.पी.सिंह** को बतौर **पी0 डब्लू0–6** परीक्षित कराया गया। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि,दिनांक 15.11.2020 को मै सी.एच.सी असोहा मे प्रभारी चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यरत था उसी दिन 10:19 पी.एम पर थाना असोहा के का0.बन्दी कुमार के द्वारा मजरूबी चिट्ठी के साथ मजरूब सत्यनारायन पुत्र रामलाल लोधी निवासी बल्लनखेड़ा थाना असोहा ज़िला उन्नाव के द्वारा सी.एच.सी मे मेरे समक्ष घायल अवस्था मे लाया गया था मजरूब के शरीर पर निम्न चोटे पायी गयी थीः–

चोट नं–1 मजरूब की दाहिनी ऑख के भौ के ऊपर 3 से.मी. गुणे .5 से.मी. गुणे मांश की गहराई तक चोट मौजूद थी जिससे ताजा खून आ रहा था एवं चोट के किनारे ई–रिगुलर थे जो कि मत्थे के अंतिम भाग पर था घाव फटा हुआ था। मेरी राय मे चोट की पृकृति साधारण थी। चोट सख्त एवं कुन्दालय से आना प्रतीत हो रही थी। चोट ताजी थी। उपरोक्त चोट दिनांक 15.11.2020 को लाठी डण्डों से मारने पीटने से आ सकती है। मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट पर मैने मजरूब का निषानी अंगॅूठा लगवाकर प्रमाणित किया था। चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट मेरे लेख व हस्ताक्षर मे है जिसकी मै पुष्टी करता हूॅ जिस पर प्रदर्श क–14 डाला गया।

25– जिरह मे उक्त साक्षी ने कथन किया कि मजरूब सत्य नरायण की एक चोट है ये चोटे ईट पर भी गिरने से आ सकती है। अग्रेतर जिरह मे उक्त साक्षी ने कथन किया कि चोट मेडिकल कराने से 06 घंटे पहले से हो सकती है जब मेडिकल कराया गया था तो खून आ रहा था जमा नही था। खून 06 घंटे के बाद जम सकता है चोट का मेडिकल कराने का0. आया था इसके साथ घर का कोई आदमी नही था। अग्रेतर जिरह मे उक्त साक्षी ने कथन किया कि मजरूब सत्य नरायन का परीक्षण के दौरान मैने उसके शरीर पर केवल एक चोट का

निशान पाया जो जाहिरा चोट थी व्यक्ति के शरीर पर आयी हुयी कोई भी जाहिरा चोट 06 घंटे तक ताजी चोट की संज्ञा मे आती है यदि किसी व्यक्ति को 5—6 व्यक्ति लाठी डण्डे व ईटों से मारे तो उसके शरीर मे काफी चोटों का आना सम्भव है। मजरूब के शरीर पर आयी हुयी चोट लड़खड़कर गिरने की दशा मे भी किसी कठोर चीज से टकराने से आ सकती है।

26— अभियोजन की ओर से **हेड का0.मो.जावेद** को बतौर **पी0 डब्लू0—7** परीक्षित कराया गया। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि, दिनांक 15.11.2020 को मै थाना असोहा उन्नाव मे का0. क्लर्क के पद पर नियुक्त था। उसी दिन मेरी ड्यूटी थाना कार्यालय मे कार्यलेख पर थी समय करीब 17:00 बजे वादी मुकदमा सत्यनरायण पुत्र श्री राम लाल लोधी निवासी ग्राम बजरंखेड़ा थाना असोहा जनपद उन्नाव द्वारा लिखित प्रार्थना—पत्र खुद की निशानी अंगूॅठा लगा बताकर बाबत बब्लू आदि पांच नफर अभियुक्त के विरूद्ध प्रतिवादीगणों द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर लाठी डंडे,ईटा पत्थर से मारना पीटना जिससे वादी के पिता रामलाल लोधी की मौके पर मृत्यु हो जाना तथा अपने शरीर पर चोट आने एवं जान से मारने की धमकी के सम्बन्ध मे दाखिल किया था। दाखिला तहरीर के आधार पर मेरे द्वारा कम्प्यूटर पर बोल बोलकर मु.अ.सं—206 / 2020 धारा—302,147, 336,323,506 भा.दं.सं मे पंजीकृत कराया गया था। चिक एफ.आई.आर पत्रावली मे संलग्न कागज संख्या—4क / 1 से लगायत 4क / 3 है, जिस पर प्रदर्श क—15 डाला गया। अपराध का खुलासा जी.डी. रपट नं0—37 दिनांक 15.11.2020 समय 17:00 बजे किया गया था। जी.डी. पत्रावली मे संलग्न कागज संख्या—5क / 4 पर मेरे हस्ताक्षर है जिसकी मै पुष्टि करता हूॅ जिस पर प्रदर्श क—16 डाला गया। घ टना की सूचना उच्च अधिकारियों को जरिये आर.टी.सेट दी गयी थी। मजरूब सत्य नारायण को चिट्ठी मजरूबी तैयार कर का0. बल बंटी कुमार को डाक्टरी परीक्षण एवं इलाज हेतु सी.एच.सी नवाबगंज उन्नाव रवाना किया गया था। वास्ते भरने पंचायतनामा एस.एच.ओ को मय हमराही जिल्द पंचायतनामा व दीगर कागजात देकर मौके पर रवाना किया गया था। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

27— जिरह मे उक्त साक्षी ने कथन किया कि अ0.सं0—206 / 2020 के पहले और बाद मे किस धारा का मुकदमा पंजीकृत किया था याद नही। एफ.आई. आर व जी.डी. खुलासा एक साथ किया गया था पहले और बाद वाली कोई बात पैदा नही होती है। उस वक्त थाना प्रभारी के मातहत कर्मचारी थे उन्ही के दाबव मे झॅूठी एफ.आई.आर लिख दी। यह कहना गलत है आज मै न्यायालय मे झॅूठी गवाही

दे रहा हूॅ यह भी कहना गलत है। अग्रेतर जिरह मे उक्त साक्षी ने कथन किया कि उस समय मै का0/क्लर्क के पद पर तैनात था। तहरीर सत्य नरायण लेकर आया था सत्य नरायन तहरीर बाहर से लिखकर लाया था। तहरीर हस्तलिखित थी। तहरीर रिपोर्ट लिखाने सत्यनरायन अकेले आया था जो चोटहिल भी था यह याद नही है कि उसके चोट से कही से खून निकल रहा था। तहरीर पर अंगॅूठा लगा था। सत्यनरायन तहरीर लेकर थाने करीब पांच बजे आया था। यह कहना गलत है कि अपराध का खुलासा जी.डी. मे एन्टी टाइम कराया गया है। वादी मुकदमा सत्य नरायन को मेडिकल हेतु अस्पताल भेजा गया था तथा थानाध्यक्ष मौके पर रवाना हो गये थे। विवेचक ने मेरा बयान घटना के एक दो दिन बाद लिया था।

28– पत्रावली में आरोप के अनुक्रम में पॉच अवधार्य बिन्दु विरचित किये गये है। उपरोक्त अवधार्य बिन्दु एक ही साक्ष्य से सम्बन्धित है एवं घटना क्रम परस्पर सम्बन्धित है तथा उसके सम्बन्ध में साक्ष्य भी संयुक्त रूप से आये है। अतः साक्ष्यों की पुनरावृत्ति न हो ऐसी स्थिति मे सातो अवधार्य बिन्दुओं का विवेचन समग्र रूप से एक ही साथ किया जा रहा है।

साक्ष्य का विवेचन एवं निष्कर्ष

29– आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा–147, 336, 323, 302, 506 भा0दं0सं0 के सम्बन्ध में विधिक उपबन्ध इस प्रकार हैः–

धारा–147 भा0दं0सं0 यह उपबन्धित करती है कि–जो कोई बल्वा करने का दोषी होगा, वह दोनो में से किसी भॉति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

धारा–336 भा0दं0सं0 यह उपबन्धित करती है कि–जो कोई इतने उतावलेपन या उपेक्षा से कोई कार्य करेगा कि, उससे मानव जीवन या दूसरों का वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न होता हो, वह दोनो में से किसी भॉति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो ढ़ाई सौ रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से,दण्डित किया जाएगा।

धारा–323 भा0दं0सं0 यह उपबन्धित करती है कि–उस दशा के सिवाय, जिसके लिए धारा–334 में उपबन्ध है, जो कोई स्वेच्छया उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भॉति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रूपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

धारा–302 भा0दं0सं0 यह उपबन्धित करती है कि–जो कोई हत्या

करेगा, वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा–506 भा0दं0सं0 यह उपबन्धित करती है कि–जो कोई आपराधिक अभित्रास का अपराध करेगा, वह दोनो में से किसी भॉति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

30– आरोपित अपराध के सम्बन्ध में परीक्षित साक्षी पी0डब्लू0–1 जो कि वादी मुकदमा है जिसके द्वारा प्रस्तुत प्रकरण की तहरीर प्रदर्श क–1 है, ने तहरीर के समर्थन में अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि,घटना दिनांक 15.11.2020 को समय 3:00 बजे दिन की है मै, मेरे पिता जी रामलाल अपने खेत जा रहे थे कि **बबलू और चंदू आपस मे लड़ाई कर रहे थे बउवा लोध के घर के सामने मैने कहा कि आज त्यौहार है आपस मे लड़ाई मत लड़ों तो वह लोग पुरानी रंजिश को लेकर दीपू,बबलू,कमल ने मुझे व मेरे पिता जी को लाठी डण्डों व ईटों से मारा व निर्मला व बहादुर ने भी मारा था।** मेरे दाहिनी ऑख की भौ पर चोट लग गई थी और पिता जी को बबलू और कालीचरन ने दौड़ा लिया था। दीपू पुत्र कालीचरन,जगपाल लोधी के घर के पास घेर लिया। **उक्त पांचों अभियुक्तगणों दीपू,बब्लू,कमल,निर्मला, व बहादुर ने आपस मे मिलकर लाठी डण्डों ईटा पत्थर से घेर कर मारने लगे पिता जी भागना चाह रहे थे भागने नही दिया मौके पर ही मार दिया।** जगपाल लोधी,चंदू,नन्दु तथा गांव अन्य तमाम लोग मौके पर आ गए थे तब **अभियुक्तगणों ने कहा ज्यादा बोलोगे तो तुम्हे भी मार कर मार डालेगें** और भाग गये थे। **घटना के पूर्व भी अभियुक्तगण मारने की धमकी दे चुके थे** इसके पहले भी नागपंचमी के पर्व के आसपास अभियुक्तगणों ने मारपीट किया था जिसका मुकदमा थाने पर लिखाया गया था। उक्त घटना की तहरीर मैने थाना असोहा मे दिया गया था जो पत्रावली मे दाखिल कागज संख्या–क4/5 जिसे देखकर साक्षी ने कहा कि यह वही प्रार्थना–पत्र है जो मैने दिया था। प्रार्थना–पत्र पर बने निशानी अंगूॅठे को साक्षी ने देखकर कहा कि यह मैने ही निशानी अंगूॅठा है जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया।

31– जिरह में कहा है कि बबलू,दीपू,निर्मला मेरी शादी हो चुकी है। मेरे दो लड़के एक लड़की है। मेरे एक भाई है जिसका नाम शत्रुघन है। मेरे पिता तीन भाई थे,रामकिशुन,श्रीराम, व राम लाल मेरे बाबा का नाम नन्हकऊ है। चंदू मौके पर परिवार के नही है गांव के है। राजेन्द्र चंदू के पिता है। राजेन्द्र से मेरी रिश्तेदारी नही है। बिरादरी के है। मेरे गांव मे लोध व रविदास ज्यादा है और पासी के पांच

छः मकान ही है। मै लोध बिरादरी का हूॅ। **अभियुक्तगण पासी बिरादरी के है। लोध बिरादरी व पासी बिरादरी मे आपस मे लड़ाई होती रहती है।** मेरे गांव मे लोध बिरादरी का वर्चस्व ज्यादा है मै अपने गांव के श्रीकृष्ण को जानता हूॅ जो पासी बिरादरी के है। अभियुक्त बबलू दीपू के चाचा है। श्रीकृष्ण की पत्नी माधुरी ने मेरे पिता सत्य नरायन,रामलाल व चन्दू के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया था इसमें मै भी अभियुक्त रहा था। मेरे पिता की हत्या से पहले यह मुकदमा दर्ज हुआ था। उस मुकदमें मे मैने अपनी जमानत करा ली है। मेरा मकान बब्लू के मकान से 150 या 200 गज दूर है। श्रीकृष्ण का मकान मंदिर के बगल मे है श्रीकृष्ण का मकान बब्लू के मकान से 150–200 गज दूरी पर है। मै बिल्कुल पढ़ा लिखा नही हूॅ। दरख्वास्त भी नही कर पाता हूॅ। सरजू प्रसाद,रामचरन मेरे सगे चाचा है। जगपाल भी मेरे सगे चाचा है। उक्त मकान मेरे मकान से 150–200 गज दूर है। बब्लू का मकान सरजू प्रसाद,रामचरन व जगपाल के मकान के पास ही है। बब्लू के मकान के बगल मे रामचरन का मकान है उसके बाद सूरज रैदास का मकान है। घटना दीपावली के एक दिन बाद की है। तारीख मुझे याद नही है। घटना दिन की है मुझे दिन नही पता है शायद जाड़े के दिन थे। मेरे साथ मै और मेरे पिता रामलाल निकले थे खेत देखने जा रहे थे खेतों मे बन्दर रात दिन रहते है। उनको हाकने जा रहे थे। बन्दर लाठी डण्डों से रोके जाते है भगाते है। यह सब सामान खेतों मे पहले से पड़ा रहता है कोई इसको चोरी नही करता है। घटना के समय नये घर मे रहता था जो रोड पर है। घटना वाले दिन दूर वाले दूसरे रास्ते से जा रहे थे उस रास्ते से बोरी लोध,रामप्रसाद,राजकिशोर,कमलेश,किशोरी,कल्लू,मुन्ना का भी मकान है रज्जन गोपाली का भी मकान भीखम सन्ती का पड़ता है। उसके बाद खेत आ जाता है। इस रास्ते से बब्लू का मकान 100 गज दूरी पर है। उस रास्ते पर बब्लू आदि के खेत बने नही है। घर से चले थे तो मै मेरे पिता खाना खाकर चले थे। खाना 12 या एक बजे खाया था। कमल बहादुर,बब्लू के चाचा मिले थे जब घर से तीन बजे चले थे तो उसके 2,5 मिनट बाद यह लोग मिले थे। **पांच लोग बब्लू,दीपू, बहादुर,निर्मला,कमल थे पांचों लोग लाठी डंडा से लैस थे मेरे डण्डा नही मारा था ईटा मारा था केवल एक बार मुझे बब्लू ने ईटा मारा था। पकड़ के हाथ पूरा मारा था समूचा ईटा मारा था। पिता जी को पांचों लोगों ने ईटा डण्डा,लाठी के साथ पांचों लोगों ने घेर कर बुरी तरह से मारा था मारपीट से पिता जी के शरीर पर चोटे आई थी चोटो से खून निकला था 10 या 15 मिनट तक मारा था इस मारपीट के समय गांव के जगपाल,चन्दू,नन्दू,रामचरन और भी गांव के कई लोग आ गए थे।**

जब लोग सभी बिरादरी के थे इन लोगों ने बीच–बचाव किया था। पुलिस को फोन नही किया था। दरख्वास्त लिखी थी जो गांव मे लिखी थी किससे लिखाई थी नाम नही मालूम, थाने करीब चार बजे पहुॅच गए थे। थाने मेरे साथ एक आदमी गया था उसका नाम याद नही है थाने मे रिपोर्ट के बाद घर आ गया था थोड़ी देर बाद पुलिस घटना स्थल पर आ गयी थी पुलिस उसके बाद डेथ बाडी लेकर उन्नव आ गयी थी। मै उन्नाव नही आया था रिश्तेदार आये थे और मै घर पर रूक गया था। मेरे चोट की डाक्टरी हुयी थी। उसी दिन हुई थी पिता जी की डेथ बाडी दूसरे दिन घर गयी थी तीसरे दिन उनका अंतिम संस्कार हुआ था अंतिम संस्कार मे मै भी गया था गांव के करीब 100–50 लोग गये थे। होली,दीपावली लोग गांव वाले शराब का सेवन करते है यह झगड़ा शराब की वजह से नही हुआ था। शराब जब कब पीते है मेरे पिता जी शराब पिया करते है पिता जी की उम्र उस घटना के समय 60–70 वर्ष रही होगी पिता जी शराब पीकर गाली–गलौज नही किया करते है मेरे पिता जी दुबले पतले थे घटना से पहले बीच मे एक झगड़ा किया था इस घ टना की रिपोर्ट भाई शत्रुघन ने लिखाई थी घटना के दूसरे दिन पुलिस ने बयान लिया था। बयान घर पर लिया था मेरा दो बार बयान दोनों दिन जब गये थे तो लिया था जब दरोगा जी घर आये थे तो दरवाजे पर बैठाया था बयान जहां घटना हुयी थी वहां पर दिया था बयान पर अंगॅूठा लगाया था लिखे पर अंगूठा लगाया था। यह कहना गलत है कि घटना वाले दिन मै मेरे पिता रामलाल व चन्दू बब्लू के पास सुलह कराने गये थे। **मेरे पिता के सर मे पीठ मे और भी गंभीर कई जगहों पर चोटे आयी थी। गिरने से खून निकल रहा था खून मौके पर गिरा था द्ववार लाल हो गया था मुझे नही मालूम खून लगी मिट्टी पुलिस ने निकाली थी कि नही कपड़े खून से तर हो गये थे मै मौके पर नही था मुझे नही पता कि पुलिस कपड़े ले गयी की नही। मेरे पिता जी के पूरे कपड़े खून से सन गये थे।** वह बन्डी,अंगौछा पहने थे यह कपड़े पुलिस ले गयी थी या नही मुझे नही मालूम, यह कपड़े इस समय घर मे है कि नही मुझे नही मालूम। **मै व मेरे परिवार के लोग पिता जी की मृत्यु हो जाने पर उत्तेजित नही थे।** लोधे लोग छोटे भाई है। रामस्वरूप व रामसजीवन मेरे चाचा के लड़के है। जगपाल भी मेरे चाचा है। मैने व मेरे उक्त चाचा जी ने दिनांक 20/21–11–2020 को रात्रि को बब्लू आदि ने घर पर चढ़ाई करके चोरी मारीपट दंगा–फंसाद नही किया था। **घटना दिनांक 15.11.2020 दीपावली के दूसरे दिन 3:00 बजे की है मै और मेरे पिता जी खेतों पर जा रहे थे मेरे घर से खेत आधा किलोमीटर दूर है मै घर से करीब 3:00 बजे के**

आसपास निकले थे। बब्लू,दीपू,निर्मला,कमल,बहादुर यह लोग मुझे जगपाल लोधी के घर के पास मिले थे। उस समय यह लोग आपस मे झगड़ा कर रहे थे। इन लोगों के आपस मे खूना खच्चर भी हो गए थे मैने बब्लू व दीपू को समझाने का प्रयास किया बब्लू से मेरी पुरानी रंजिश है। बब्लू के परिवार से पहले मेरे ऊपर मुकदमा लिखाया जा चुका था जिसमें हम लोगों ने फिर वहां मैने चंदू गांव के लोध भाई शत्रुघन जो मेरा भाई है व मृतक पिता राम लाल आदि ने जमानत कराई थी। यह मुकदमा अभी भी हम लोगों के ऊपर चल रहा है। मै दारू नही पीता हूँ मतलब शराब होली दीपावली कभी भी लेता हूँ मेरे पिता जी पीते थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है चूँकि परेवा का दिन था उस दिन पिता दारू पिये थे **जब बब्लू आदि आपस मे झगड़ा कर रहे थे तो मैने उन्हे समझाने का प्रयास किया था जिस पर बब्लू ने मेरे ईटा मार दिया था बब्लू ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे ईटा मार दिया था** बाकी व्यक्ति अभियुक्तगण मुझे लाठी डण्डों से नही मारा था और ना ही मारा ही था यह घटना स्थल से करीब 100—150 गज रहा होगा मैने चिल्लाने पर शेर शराबे पर अभियुक्तगण मौके से भाग गए थे **जब बब्लू ने मुझे ईटा मारा था तो मेरे पिता जी भाग रहे थे।** मुझे यह नही पता कि मेरे पिता जी किस दिशा मे भाग रहे थे जहां पर मेरा घर है उधर ही अभियुक्तगण का भी घर है। मेरे पिता जी उसी दिशा मे भाग रहे थे मेरे पिता जी भागने से ठोकर लगने से गिरे नही थे। बब्लू के मारने से केवल मेरे एक चोट आई थी। शरीर मे और नही चोट आई थी। **मेरे पिता जी को बहादुर ने,कमल ने,निर्मला, बब्लू,दीपू आदि ने दौड़ाया था जब यह लोग दौड़ा रहे थे तो बहादुर के हाथ दोनों मे समूचे ईटे थे दीपू के हाथ मे एक ईटा और एक हाथ मे डण्डा,निर्मला के केवल एक हाथ मे ईटा था, बब्लू के एक हाथ मे ईटा था व एक हाथ मे लाठी थी। कमल दोनों हाथों मे अद्धा ईटा लिए था बहादुर का घर मेरे घर से करीब आधा किलो मीटर दूर पर है।** घटना के समय बहादुर मौजूद था। बहादुर घटना वाले समय मेरे घर से खाना खाकर गया था उसके परिवार से मेरी रंजिश नही थी। **बहादुर घटना वाले समय मेरे घर मेरे पिता के साथ खा पीकर गया था। जहां पर बब्लू ने मेरे ईटा मारा था वहां से जगपाल के दरवाजे पर मारकर गिरा दिया था जब मेरे पिता भाग रहे थे तब उनके लाठी डण्डे व ईटा नही पड़ पाये थे। मेरे पिता के गिरने बाद ही बहुत मारापीटा था फिर वह मारने से गिरे थे। जब मेरे पिता जी गिर गये थे तो बुरी तरह से मार रहे थे। करीब पांच मिनट मारा था। मै उस समय दूर खड़ा देख रहा करीब 20 कदम छिप कर देख रहा था लाठी,डण्डों ईटों और पत्थरों से भी मारा मेरे पिता को हाथ मे सर मे पैर मे पीठ मे**

बुरी तरह से मारा था अन्दरूनी चोटे आई थी। मुॅह से और सर से खून निकला था। किसने कितने लाठी,गुम्मा,डण्डे मारे मुझे याद नही है। पांच मिनट मे ज्यादा से ज्यादा 4,4,6,6 लाठी डण्डों ईटा गुम्मा पत्थर से मारा है। अभियुक्तगण भरपूर ताकत लगाकर मेरे पिता जी को मार रहे थे मेरे पिता जी जगपाल लोधी के दरवाजे पर ही गिर गये थे और वही पर मर गये थे। पिता के मरने के बाद मुझे वही पता चल गया था **जब मुल्जिमान मेरे पिता को मारपीट कर चले गये थे तो मै नजदीक आया था मौके पर तमाम लोग आ गए थे तब मेरे पिता जी को बब्लू आदि मार रहे थे तो किसी ने बीच—बचाव नही कराया था** जब अभियुक्तगण भाग गये तब लोग मौके पर आये थे। थाने मै चार बजे पहुॅच गया था दरख्वास्त मैने गांव मे ही लिखवाई थी किसने लिखी थी नाम नही पता मै पढ़ा लिखा नही हूॅ। जगपाल बब्लू आदि ने परिवार से पहले से रंजिश चलती है इसीलिए जगपाल मेरे साथ गया था। कालीचरन झगड़े मे नही थे वह दो साल पहले मर चुके थे। थाने पर दरख्वास्त देने पर तुरन्त मेरा मुकदमा लिख लिया गया था। मुकदमा लिखने के बाद मुझे उस समय कापी नही मिली थी पुलिस ने मुझसे यह बता दिया था कि मुकदमा लिख लिया गया है। पुलिस मेरे साथ वापस नही आई थी। मेरे सामने पुलिस मेरे घर नही आई थी। मेरी डाक्टरी मेरी चोटों की डाक्टरी असोहा थाने मे हुई थी। डाक्टरी कराने के बाद मै आधी रात के समय घर आया था जब मै घर पहुॅचा था तो मेरे पिता का शव उन्नाव आ चुका था। मै पंचायतनामा जानता हूॅ वह मेरे सामने नही हुआ था न पंचनामें की लिखा पढ़ी मेरे सामने नही हुई थी न ही मेरे हस्ताक्षर है पुलिस ने मेरा बयान घटना के दूसरे या तीसरे दिन लिया था पुलिस ने नक्शा—नजरी बनाई थी मुझे नही पता। कमल मुझसे व मेरे पिता जी से लगाव रखता था। व्यवहारी आदमी है। मैने नही सुना था कि एक थाली मे खाना खाये हो या नही। श्रीकृष्ण की पत्नी माधुरी ने मेरे परिवार के खिलाफ एस.सी. /एस.टी. एक्ट का मुकदमा लिखाया था। श्रीकृष्ण, बब्लू से यही मेरी रंजिश है। इसी रंजिश के कारण घटना हुई और मेरे पिता की मृत्यु हुई। श्रीकृष्ण के खिलाफ लिखाई गई थी लेकिन प्रमुख होने की वजह से लिखी नही गयी। इस घटना के मुख्य गुनाहगार श्रीकृष्ण ही है। श्रीकृष्ण शराबी व्यक्ति है वह नशे मे होकर मुझको अभी भी गाली बकता है। गाली देने की वजह से हम लोगों ने उसे मारा था ताकी यह सुधर जाये। कमल दिवाली को दिल्ली गुड़गांव से आठ साल बाद आया था। कमल की मेरी कोई दुश्मनी नही थी। हम लोग टेंट का काम साथ मे करते थें। **घटना वाले दिन ही 10—15 मिनट पहले लगभग तीन बजे बौरे के दरवाजे**

बब्लू,बहादुर,दीपू, निर्मला,चन्दू से झगड़ा हुआ था मैने दूर से कहा था कि आज त्यौहार है लड़ाई न करों,फिर इन्होने उनको छोड़कर मेरी भौं पर ईटा मार दिया और मै वही जगह गिर गया जब मै गिर गया था तो मेरे पिता जी उठाकर ले गये थे उसी वक्त उपरोक्त लोगों ने मुझे व मेरे पि जी को घेर लिया था और घटना घट गयी मेरा खून बन्द नही हुआ जब तक इलाज नही हुआ खून बहने के दर्मियान मै अर्धविचित्र था, पूरे कपड़े खून से भर गये थे **जहां घटना घटी व वहां पक्की ईट की चट्टे लगी थी।** यह कहना गलत है कि मेरे मृतक पिता जी अत्यधिक शराब के नशे मे थे पैर फिसलने से खोपड़ी के बल ईटों पर गिर गये और उन्ही ईटों की वजह से गम्भीर चोट आ गयी और उनकी मृत्यु हो गयी।

32– **पी0 डब्लू0–2 रामचरन** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि, **घटना दिनांक 15.11.2020 समय करीब दिन के तीन बजे की है। मै अपने भाई जगपाल के दरवाजे पर बैठा था उसी समय गांव के रामलाल लोधी भागते हुये आये उनके पीछे–पीछे हाथों मे ईट पत्थर लाठी डण्डा लेकर दौड़ाते हुये बब्लू,बब्लू का भाई दीपू,बब्लू की पत्नी निर्मला तथा गांव के कमल पासी व बहादुर पासी घेरकर मारने लगे,**मै बचाने के लिए दौड़ा तो मुझे भी मारने लगे,मुझे भी चोट आ गयी थी मै थोड़ा पीछे हट गया था तब तक रामलाल को काफी चोटे आ गयी थी। वे मौके पर ही गिर गये थे और उनकी मौके पर ही मौत हो गयी। **उक्त अभियुक्तगण जान से मार देने की धमकी देते हुये भाग गये थे।** मुझे जानकारी हुयी थी कि रामलाल को बउवा के घर से दौड़ाते हुये लाये थे वहां पर रामलाल के लड़के सत्य नरायण भी चोटहिल हो गये थे।

33– जिरह में कहा कि इस मुकदमें का समन मुझे मिला था मेरे लड़के का नाम राजेश है। राजेश से पहले मेरा मुकदमा चला था। अब नही चल रहा है। राजेश मेरे साथ नही रहता है।, अपने ममाने मे रहता है। मैने अपने लड़के राजेश को घर से नही भगाया है। वह खुद भाग गया है। यह कहना गलत है कि अपने लड़के राजेश को मैने घर भगाया हो और बब्लू,दीपू, द्वारा रोकने पर उनके रंजिश मानता हो। मुझे इस घटना की तारीख याद नही है दिन भी याद नही है। दीपावली का भोर था। मुझे दिशाओं का ज्ञान है मेरे घर के पूरब मे मेरे भाई का मकान है फिर कहा कि बब्लू का मकान है। पश्चिम दिशा मे मेरे भाई जगपाल का मकान है उत्तर मे कल्लू कहार का मकान है दक्षिण मे पेड़ खड़े है। घटना वाले दिन मै घर पर ही था। वादी मुकदमा सत्य नारायन मेरे गांव के है। इनका मकान मेरे घर से पश्चिम दिशा मे लगभग 100 मीटर दूरी पर है। मेरे घर के दरवाजे से सड़क लगी

हुई है। घटना के समय मै बाहर ही बैठा था। बाहर मेरे साथ कोई नही था। **मेरे दरवाजे पर मृतक रामलाल को रपटाते हुए आठ आदमी लाये थे। उन आठ आदमियों के नाम बब्लू,दीपू,कमल, बहादुर,निर्मला,मुन्ना,किशोरी,पूजा थे। मारपीट के समय डर के मारें वहां कोई नही आया।** पूजा व अन्य तीन लोग जो मुल्जिम नही है ने बीच–बचाव नही किया वो लेग मार भी नही रहे थे गालियां दे रहे थे। **मैने हाथ जोड़कर मना किया और बीच–बचाव किया। बब्लू,दीपू, व निर्मला लाठी डंडा,ईटा पत्थर सब लिये हुए थे। मेरे सामने इन लोगों ने लाठी डंडा,ईटा पत्थर से अनगिनत बार मारा।** मैने गिना नही था। **मेरे मना करने पर इन लोगों ने मुझे भी मारा। एक ईटा मेरी ऊॅगली और एक पेट मे लगा।** मैने अपनी चोटों का मेडिकल नही कराया था। मेरे साथ मारपीट के बारें मे मैने पुलिस को बताया था। **इन लोगों ने रामलाल को दस मिनट मारा था। मारपीट करके ये लोग चले गये थे इन लोगों के जाने पर मैने रामलाल की चोटे नही देखी।** वो मरे पड़े थे जगपाल के हारे पर खून पड़ा था। पुलिस एक–डेढ़ घंटे बाद आ गई थी। पुलिस लाश उठाकर ले गयी थी लाश के साथ मै थाने नही गया था। पोस्टमार्टम मे भी मै नही गया था। पुलिस ने मेरा घटना के 4–5 दिन बाद गयान लिया था जो बातें आज मैने बताई है वही सब मैने दरोगा जी को बता दी थी। **मृतक रामलाल शराब नही पीते थे** मै भी शराब नही पीता हूॅ। घटना के बाद वादी सत्य नरायन से मेरी रोज मुलाकात होती है। यह कहना गलत है कि मै सत्य नरायन के कहने पर आज यह गवाही दे रहा हो। यह भी कहना गलत है कि मैने कोई घटना होते न देखी हो और सिखाने से बयान दे रहा हो। यह भी कहना गलत है कि अभियुक्तगण ने कोई अपराध न किया हो,बल्कि मृतक रामलाल शराब के नशे मे गिर कर चोट खा गया हो और उसी से उसकी मृत्यु हो गयी हो। मै रामलाल के चाचा का लड़का नही हूॅ। मै चार भाई हूॅ। सत्यनरायण मेरे भाई नही है। मेरे भाई का नाम रामबरन,लाला, रामचरन,जगपाल है। मै श्रीकृष्ण को जानता हूॅ। शराबी किस्म का है वह जब तब दारू पीता है। राम लाल और अभियुक्तों के बीच जो लड़ाई झगड़ा हुयी थी मैने नही देखा। **मै घटना का दिनांक नही जानता,दिन भी नही जानता हूॅ मारने मे पांच लोग थे बब्लू,दीपू,कमल,निर्मला, व बहादुर इन लोगों से मेरी कभी लड़ाई नही चल रही है।** सत्य नरायन मेरे व्यवहारी सत्यनरायन के पिता का नाम रामलाल था। यह मुझसे 10–15 साल बड़े थे रिश्ते मे मेरे चाचा लगते थे हम कुल चार भाई है बउवा का घर मेरे घर से 100–125 मीटर पर है। **झगड़ा दिन मे करीब तीन बजे हुआ था। झगड़ा मेरे भाई जगपाल के दरवाजे पर शुरू हुआ था झगड़ा जब शुरू हुआ**

जब मौके पर मारने वाले कुल पांच लोग थे। रामलाल मृतक मेरे दरवाजे पर गिर पड़े थे। उनके गिरते ही सब लोग भाग गए। मुझे नही पता अभियुक्तगण मे कौन–कौन अपने हाथों मे क्या–क्या लिये था लेकिन मैने मारते हुए देखा था झगड़े मे बहादुर भी था। झगड़े मे अभियुक्त बहादुर के हाथ मे कुछ नही था। मुझे नही पता कि मृतक रामलाल का लड़का सत्यनरायन कहां पर था घटना के समय मैने उसे नही देखा बहादुर के अलावा बाकी लोगों ने कितनी देर तक रामलाल को मारा था यह नही बता सकता रामलाल के दो लड़के है जिनका नाम सत्यनरायन व शत्रुघन है। मृतक रामलाल का दूसरा लड़का शत्रुघन भी मौके पर नही था पुलिस ने मेरा बयान लिया था। राम लाल के मरने के करीब चार पांच दिन बाद मेरा बयान लिया था। दरोगा जी मेरा बयान लेने गांव आए थें रामलाल होली दिवाली शराब पी लेते थे। मै भी होली दिवाली पी लेता हूॅ फिर कहा जब कभी मूड बन जाता है पी लेता हूॅ। मैने राम लाल के शरीर पर आई चोटों को नही देखा था क्योंकि मै मौके पर नही गया था। यह कहना गलत है कि सत्यनरायन का व मृतक रामलाल का व्यवहारी होने के कारण व रिश्तेदार होने के कारण सत्यनरायन के कहने पर न्यायालय मे गवाही देने आया हूॅ।

34– **पी0 डब्लू0–3 जगपाल** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि,**घटना दिनांक 15.11.2020 को समय दिन के तीन बजे की है। मै अपने दरवाजे पर बैठा था उसी समय गांव के ही रामलाल लोधी को मेरे गांव के बब्लू पासी,बब्लू की पत्नी निर्मला, बब्लू का भाई दीपू,कमल, व बहादुर दौड़ाते हुए लाए थे** तथा **उसे ईटा पत्थर व लाठी डण्डों से पीट–पीट कर मार डाला। राम लाल की मौत मौके पर ही हो गयी थी।** बचाने के लिए मै दौड़ा था तो **अभियुक्तगण ने मुझ पर भी हमला कर दिया था तो मै भाग कर जीने के नीचे छिप कर अपनी जान बचाई थी।** उसके बाद **अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए थे।** पुलिस ने मेरा बयान लिया था।

35– जिरह में कहा कि रामलाल मृतक मेरे कोई नही है मेरा इनसे कोई रिश्ता नही है। रामचरन मेरे सगे भाई है जो मेरे घर के बगल मे रहते है। सरजू प्रसाद मेरे सगे भाई है जो मेरे घर के बगल मे रहते है। अभियुक्तगण बब्लू व दीपू का घर है मेरी बिरादरी व रामलाल की बिरादरी नही है। लोधी बिरादरी है। मेरे घर के सामने मेरा सहन है सहन खुला हुआ है सहन के बाद पक्का खडंन्जा है मै किसानी का काम करता हूॅ मेरी निजी खेती पौने चार बिस्वा है बाकी बटाई कर लेता हूॅ। घटना के समय खेतों मे कोई फसल नही बोई गयी थी। **घटना वाले दिन**

मै मजदूरी करने नही गया था। घटना के समय मै खाना खा चुका था और अपने दरवाजे पर बैठा था मेरे साथ नीलम,करन,सरस्वती तीनों लोग बैठे थे आस पड़ोस का कोई व्यक्ति साथ मे नही बैठा था। मैने शोरगुल की कोई आवाज नही सुनी **रामलाल मेरे दरवाजे पर आकर गिरे रामलाल शराब नही पीते होली दिवाली पर भी नही पीते है।** रामलाल करीब 55 साल के रहे होगे गांव मे रहने के कारण मै रामलाल की गतिविधियां अच्छी तरह से जानता हूँ। रामलाल के गिरने पर मैने उन्हे नही उठाया था। **रामलाल को मारने वाले लोग हाथों मे लाठी डण्डे व ईटा पत्थर लिये थे इन लोगों ने रामलाल को लाठी डण्डो व ईटा पत्थरों से बहुत मारा जिससे रामलाल की मृत्यु हो गयी। रामलाल की जब मृत्यु हो गयी थी तब मैने उनको हिला डुलाकर देखा था मैने चोटे नही देखी वह मारते–मारते मर गये थे।** मै उनके नजदीक नही गया। किसी ने उनको बचाया नही **अभियुक्तगण मारपीट कर भाग गए थे मारपीट मिनट दो मिनट तक हुई थी** मारपीट के बाद जब अभियुक्त चले गये तो गांव के काफी लोग मौके पर आ गए थे। पुलिस 2,3 घंटे बाद आ गयी थी। पुलिस मृतक रामलाल को उठाकर ले गयी मै लाश के साथ थाने नही गया था। मै थाने नही गया था पुलिस ने मेरा बयान तीन दिन बाद लिया था। घटना के सम्बन्ध मे मुझे मेरे बाबा का नाम मालूम नही है। घटना किस वर्ष की है मुझे नही पता तारीख मुझे याद है। 15 तारीख महीना 11 था मैने अदालत मे आज अपनी उम्र 45 वर्ष बताई है इस मुकदमें के सम्बन्ध मे तीन साल पहले मैने पुलिस को कोई बयान नही दिया था अगर पुलिस ने मेरा बयान लिखा हो तो मै इसकी कोई वजह नही बता सकता। पुलिस ने यदि मेरे बयान मे 50 वर्ष मेरी उम्र बताई हो तो मै इसकी वजह नही बता सकता क्योंकि मैने पुलिस को ऐसा कुछ नही बताया था। मैने अपने बयान मे यह बात बताई है कि घटना के समय मै अपने दरवाजे पर बैठा था मेरे साथ मेरा लड़का करन,लड़की नीलम और मेरी पत्नी सरस्वती थी यह कि मेरे साथ दरवाजे पर इतने लोग साथ–साथ बैठे थे आज से पहले यह बात किसी को नही बताई मेरे परिवार के अलावा और कोई नही बैठा था। **मै अभियुक्त बहादुर को जानता हूँ मेरा घर बहादुर के घर से लगभग 150 फुट दूरी पर होगा अभियुक्त बब्लू दीपू भाई का घर रामचरन के घर के बगल मे है मेरे भाई रामचरन का घर मेरे घर से लगा हुआ है।** मुझे यह नही पता है कि मृतक रामलाल व उसके पुत्र सत्यनरायन का झगड़ा अभियुक्तगण से किस बात पर हुआ था। मृतक रामला का घर मेरे घर से लगभग 100 मीटर दूरी पर है मृतक रामलाल अपने घर की तरफ से भागते हुए मेरे घर की तरफ आ रहे थे उस समय सत्य नरायन मौके पर

नही था। रामलाल को बब्लू,कमल,दीपू,बहादुर, निर्मला ने पकड़ कर मारा मैने यह नही देखा की किस अभियुक्त के हाथ मे क्या क्या हथियार है। **अभियुक्तगण जहां पर रामलाल को मार रहे थे उस स्थान से मै 10 फिट दूरी पर था।** मैने राम लाल को बचाया नही था और कोई भी राम लाल को बचाने नही आया था क्योंकि कोई भी मौके पर नही था। रामलाल को **अभियुक्तगण ने एक मिनट दो मिनट मारा होगा और रामलाल मौके पर मर गए।** मैने बाद मे भी नही देखा था कि मृतक रामलाल के शरीर मे कितनी चोटे थी। मृतक राम लाल के मरने के बाद भी मै अपने बरामदे पर बैठा रहा मृतक रामलाल का लड़का सत्यनरायन मौके पर कितनी देर बाद आया मैने नही देखा। सत्यनरायन मौके पर आया ही नही था। बहादुर से मेरी बोलचाल पहले थी यह घटना होने के बाद अब बोलचाल बन्द है। घटना का मुकदमा मेरे ही दरवाजे पर लिखा गया था घटना के सम्बन्ध मे थाने से पुलिस 2/3 घंटे बाद आयी थी मै शराब नही पीता मै नही जानता कि रामलाल होली दिपाली शराब पीते थे। मै गांव के कमल को जानता हूँ कमल 8/10 साल से गुड़गांव मे मजदूरी पेशा करते है मुझे नही मालूम कि कमल ने अपनी ससुराल मे अपने लड़के का मुण्डन कराया था जिस दिन दिवाली थी उस दिन देखा था इसके पहले मैने कमल को नही देखा क्योंकि वह यहां रहते नही थे। बाहर रहने के कारण कमल के सम्बन्ध रामलाल,सत्यनरायन आदि से अच्छे थे मुझे नही मालूम कि बब्लू व रामलाल से कोई मारपीट लड़ाई झगड़ा आदि हुआ हो।

36– **पी0 डब्लू0–4 डा0 फैजल जुबैर** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि, दिनांक 16.11.2000 को मै मोर्चरी ज़िला अस्पताल उन्नाव मे ड्यूटी पर तैनात था। उक्त तिथि को 12:10 पी.एम. पर मृतक श्री राम लाल के पोस्टमार्टम की रिकवेस्ट प्राप्त हुई। उक्त दिनांक को 12:30 पी.एम पर पोस्टमार्टम शुरू कर के 1:10 पी.एम. पर पोस्टमार्टम समाप्त किया। शव को लाने वाले सी.पी. अतुल कुमार व सी.पी. विकास वर्मा थाना असोहा उन्नाव थे। शव की पहचान मृतक के बेटे शत्रुघन ने की थी। मृतक रामलाल पुत्र स्व0.ननकऊ,निवासी बजरंगखेड़ा थाना असोहा ज़िला उन्नाव की उम्र 60 वर्ष पुरूष जिसकी लम्बाई 153 से.मी. बनावट औसत मध्यम काठी थी।

मृत्यु पश्चात अकड़न गर्दन से निकल गयी थी अपर और लोवर अंगों मे अकड़न मौजूद थी। पी.एम.स्टैनिंग पीठ व कूल्हों पर मौजूद थी। शव की दोनों ऑखे थोड़ी खुली हुई थी व मुख बन्द था। नाखून साइनोज्ड थे।

<u>मृत्यु पूर्व चोटे–</u>

1. फटा हुआ घाव (लेसरेटेड ऊड) 5 से.मी. गुणे 1से.मी. बांये कान से 8 से.मी. ऊपर (बोन डीप) बांय पैरेक्टिलक रीजन पर था।

आन्तरिक परीक्षणः–

मस्तिष्क की झिल्यिां व मस्तिष्क कनजेस्टेड था Intracanial Haematone मौजूद था करीब 150 एम.एल. खून का धक्का दोनों तरफ के फेफड़े व फेफड़े की झिल्लियां कनजेस्टेड थी। हृदय का दाहिना चैम्बर भरा हुआ था। बांया खाली था। आमाशय मे लगभग 500 ग्राम अधपचा भोजन मौजूद था व Mucous membrane normal था। छोटी आंत मे पेस्ट व गैसेस मौजूद थी बड़ी आंत मे मल व गैसेस मौजूद था। Liver Congested था। व गाल ब्लेडर आधा भरा हुआ था। स्पलीन कनजेस्टेड थी किडनी दोनों तरफ के कनजेस्टेड थे व बांये गुर्दे मे एक Fluid cost 1 C.M.x2C.M. मौजूद थी। मृत्यु का सम्भावित समय लगभग एक दिन का था। **मृत्यु का तात्कालिक कारण कोमा था जो कि मृत्यु पूर्व सर मे लगी चोट था मृतक की मौत दिनांक 15.11.2020 को लगभग 15:00 बजे की होना सम्भव है।** मृतक को आयी चोट लाठी डंडे से आना सम्भव है।

37– जिरह में कहा कि मुझे याद नही है कि मृतक के कान के ऊपर लगी चोट मे खून जमा था या नही चोट पर ब्लड होगा। मृतक की मृत्यु दिनांक 15.11. 2020 को दिन मे 12 से एक बजे होने की सम्भावना है। पोस्टमार्टम के समय मृतक का वेट लिया जाता है परन्तु उस समय वेट मशीन उपलब्ध न होने के कारण वजन नही लिया जा सका था। मृतक के आमाशय मे पाया गया आधा पचा खाना मृत्यु के 4–6 घंटे के अन्दर खाया गया होगा। मृतक के शरीर पर एक चोट के अलावा और चोट नही पायी गयी थी मृतक को पायी गयी किसी सख्त चीज से ईटा पत्थर लाठी डंडा से आना सम्भव है। मैने जो पोस्टमार्टम किया है मृतक राम लाल का उसके शरीर मे पोस्टमार्टम के समय एक चोट के अलावा कोई अन्य दूसरी चोटे नही मिली। मृतक के सर मे पाई गयी चोट गिरने की हालत मे आना सम्भव है।

38– **पी0डब्लू0–5 ओम प्रकाश** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि दिनांक–15.11.2020 को थाना असोहा में प्रभारी निरीक्षक के पद पर नियुक्त था जो कि सम्बन्धित मामले का विवेचक है जिसके पंचायतनामा, आर.आई. चिट्ठी, सी.एम.

ओ. चिट्ठी, नमूना सील, फोटो लाश, चालान लाश क्रमशः प्रदर्श क–3 लगायत प्रदर्श क–8, फर्द खुना लूदा मिट्टी प्रदर्श क–9, नक्शानजरी प्रदर्श क–10, फर्द बरामदगी प्रदर्श क–11, गिरफ्तारी प्रपत्र प्रदर्श क–12, आरोप पत्र प्रदर्श क–13, सफेद रंग की प्लास्टिक की बोरी वस्तु प्रदर्श–1, लाठी डण्डा वस्तु प्रदर्श–2, शादी मिट्टी के डिब्बे वस्तु प्रदर्श–3, खूना लूदा मिट्टी डिब्बे वस्तु प्रदर्श–4, ईट टुकडे वस्तु प्रदर्श–5, 6, समुचे ईट के टुकडे वस्तु प्रदर्श–7, झोले पर वस्तु प्रदर्श–8 को अपने साक्ष्य के माध्यम से साबित किया है।

39– **पी0डब्लू0–6 डा0 बी.पी.सिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि,दिनांक 15.11.2020 को मै सी.एच.सी असोहा मे प्रभारी चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यरत था उसी दिन 10:19 पी.एम पर थाना असोहा के का0.बन्दी कुमार के द्वारा मजरूबी चिट्ठी के साथ मजरूब सत्यनारायन पुत्र रामलाल लोधी निवासी बल्लनखेड़ा थाना असोहा ज़िला उन्नाव के द्वारा सी.एच.सी मे मेरे समक्ष घायल अवस्था मे लाया गया था मजरूब के शरीर पर निम्न चोटे पायी गयी थीः–

चोट नं–1 मजरूब की दाहिनी ऑख के भौ के ऊपर 3 से.मी. गुणे .5 से.मी. गुणे मांश की गहराई तक चोट मौजूद थी जिससे ताजा खून आ रहा था एवं चोट के किनारे ई–रिगुलर थे जो कि मत्थे के अंतिम भाग पर था घाव फटा हुआ था। मेरी राय मे चोट की पृकृति साधारण थी। **चोट सख्त एवं कुन्दालय से आना प्रतीत हो रही थी।** चोट ताजी थी। **उपरोक्त चोट दिनांक 15.11.2020 को लाठी डण्डों से मारने पीटने से आ सकती है।**

40– जिरह में कहा कि मजरूब सत्य नरायण की एक चोट है ये चोटे ईट पर भी गिरने से आ सकती है। चोट मेडिकल कराने से 06 घंटे पहले से हो सकती है जब मेडिकल कराया गया था तो खून आ रहा था जमा नही था। खून 06 घंटे के बाद जम सकता है चोट का मेडिकल कराने का0. आया था इसके साथ घर का कोई आदमी नही था। मजरूब सत्य नरायन का परीक्षण के दौरान मैने उसके शरीर पर केवल एक चोट का निशान पाया जो जाहिरा चोट थी व्यक्ति के शरीर पर आयी हुयी कोई भी जाहिरा चोट 06 घंटे तक ताजी चोट की संज्ञा मे आती है **यदि किसी व्यक्ति को 5–6 व्यक्ति लाठी डण्डे व ईटों से मारे तो उसके शरीर मे काफी चोटों का आना सम्भव है।** मजरूब के शरीर पर आयी हुयी चोट लड़खड़कर गिरने की दशा मे भी किसी कठोर चीज से टकराने से आ सकती है।

41— **पी0डब्लू0—7 हेड कां0 मो0 जावेद** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि दिनांक—15.11.20 को थाना असोहा में हेड कां0 के पद पर सेवारत था जो कि सम्बन्धित मामले की घटना का एफ.आई.आर. लेखक व कायमी जी0 को साबित किया जिसके चिक एफ.आई.आर. प्रदर्श क—15 व कायमी जी0डी0 प्रदर्श क—16 को अपने साक्ष्य के माध्यम से साबित किया है।

42— उपरोक्त अपराध को कारित किये जाने के सम्बन्ध में अभियोजन के द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षीगण पी0डब्लू0—01 लगायत 07 जो सम्बन्धित घटना के मजरूब व चक्षुदर्शी साक्षीगण है इसी अनुक्रम में पी0डब्लू0—1 जो वादी मुकदमा है उसने न्यायालय के समक्ष अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए बयान दिया कि घटना दिनांक 15.11.2020 को समय 3:00 बजे दिन की है मै, मेरे पिता जी रामलाल अपने खेत जा रहे थे कि बबलू और चंदू आपस मे लड़ाई कर रहे थे बउवा लोध के घर के सामने मैने कहा कि आज त्यौहार है आपस मे लड़ाई मत लड़ों तो वह लोग पुरानी रंजिश को लेकर दीपू,बबलू,कमल ने मुझे व मेरे पिता जी को लाठी डण्डों व ईटों से मारा व निर्मला व बहादुर ने भी मारा था। मेरे दाहिनी ऑख की भौ पर चोट लग गई थी और पिता जी को बबलू और कालीचरन ने दौड़ा लिया था। दीपू पुत्र कालीचरन,जगपाल लोधी के घर के पास घेर लिया। उक्त पांचों अभियुक्तगणों दीपू,बब्लू,कमल,निर्मला, व बहादुर ने आपस मे मिलकर लाठी डण्डों ईटा पत्थर से घेर कर मारने लगे पिता जी भागना चाह रहे थे भागने नही दिया मौके पर ही मार दिया। जगपाल लोधी,चंदू,नन्दु तथा गांव अन्य तमाम लोग मौके पर आ गए थे तब अभियुक्तगणों ने कहा ज्यादा बोलोगे तो तुम्हे भी मार कर मार डालेगें और भाग गये थे। घटना के पूर्व भी अभियुक्तगण मारने की धमकी दे चुके थे तथा जिरह में साक्षी ने कहा है कि पांच लोग बब्लू,दीपू, बहादुर,निर्मला,कमल थे पांचों लोग लाठी डंडा से लैस थे मेरे डण्डा नही मारा था ईटा मारा था केवल एक बार मुझे बब्लू ने ईटा मारा था। पकड़ के हाथ पूरा मारा था समूचा ईटा मारा था। पिता जी को पांचों लोगों ने ईटा डण्डा,लाठी के साथ पांचों लोगों ने घेर कर बुरी तरह से मारा था मारपीट से पिता जी के शरीर पर चोटे आई थी चोटो से खून निकला था 10 या 15 मिनट तक मारा था इस मारपीट के समय गांव के जगपाल,चन्दू,नन्दू,रामचरन और भी गांव के कई लोग आ गए थे। मेरे पिता के सर मे पीठ मे और भी गंभीर नई जगहों पर चोटे आयी थी। गिरने से खून निकल रहा था खून मौके पर गिरा था द्वार लाल हो गया था मुझे नही मालूम खून लगी मिट्टी पुलिस ने निकाली थी कि नही कपड़े खून से तर हो गये

थे मै मौके पर नही था मुझे नही पता कि पुलिस कपड़े ले गयी की नही। मेरे पिता जी के पूरे कपड़े खून से सन गये थे। इसी अनुक्रम में पी0डब्लू0–2 राम चरन जो सम्बन्धित मामले की चक्षुदर्शी साक्षी है उसने भी न्यायालय में दिये गये बयान में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए साक्ष्य दिया है तथा मुख्य परीक्षा में कहा है कि घटना दिनांक 15.11.2020 समय करीब दिन के तीन बजे की है। मै अपने भाई जगपाल के दरवाजे पर बैठा था उसी समय गांव के रामलाल लोधी भागते हुये आये उनके पीछे–पीछे हाथों मे ईट पत्थर लाठी डण्डा लेकर दौड़ाते हुये बब्लू,बब्लू का भाई दीपू,बब्लू की पत्नी निर्मला तथा गांव के कमल पासी व बहादुर पासी घ ोरकर मारने लगे,मै बचाने के लिए दौड़ा तो मुझे भी मारने लगे,मुझे भी चोट आ गयी थी मै थोड़ा पीछे हट गया था तब तक रामलाल को काफी चोटे आ गयी थी। वे मौके पर ही गिर गये थे और उनकी मौके पर ही मौत हो गयी। उक्त अभियुक्तगण जान से मार देने की धमकी देते हुये भाग गये थे तथा जिरह में कहा है कि मेरे दरवाजे पर मृतक रामलाल को रपटाते हुए आठ आदमी लाये थे। उन आठ आदमियों के नाम बब्लू,दीपू,कमल, बहादुर,निर्मला,मुन्ना,किशोरी,पूजा थे। मारपीट के समय डर के मारें वहां कोई नही आया। पूजा व अन्य तीन लोग जो मुल्जिम नही है ने बीच–बचाव नही किया वो लेग मार भी नही रहे थे गालियां दे रहे थे। मैने हाथ जोड़कर मना किया और बीच–बचाव किया। बब्लू,दीपू, व निर्मला लाठी डंडा,ईटा पत्थर सब लिये हुए थे। मेरे सामने इन लोगों ने लाठी डंडा,ईटा पत्थर से अनगिनत बार मारा। मैने गिना नही था। मेरे मना करने पर इन लोगों ने मुझे भी मारा। एक ईटा मेरी ऊँगली और एक पेट मे लगा। मैने अपनी चोटों का मेडिकल नही कराया था। मेरे साथ मारपीट के बारें मे मैने पुलिस को बताया था। इन लोगों ने रामलाल को दस मिनट मारा था। मारपीट करके ये लोग चले गये थे इन लोगों के जाने पर मैने रामलाल की चोटे नही देखी। इसी अनुक्रम में पी0डब्लू0–3 जगतपाल जो सम्बन्धित मामले की चक्षुदर्शी साक्षी है उसने भी न्यायालय में दिये गये बयान में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए साक्ष्य दिया है मुख्य परीक्षा में कहा है कि घटना दिनांक 15.11.2020 को समय दिन के तीन बजे की है। मै अपने दरवाजे पर बैठा था उसी समय गांव के ही रामलाल लोधी को मेरे गांव के बब्लू पासी,बब्लू की पत्नी निर्मला, बब्लू का भाई दीपू,कमल, व बहादुर दौड़ाते हुए लाए थे तथा उसे ईटा पत्थर व लाठी डण्डों से पीट–पीट कर मार डाला। राम लाल की मौत मौके पर ही हो गयी थी। बचाने के लिए मै दौड़ा था तो अभियुक्तगण ने मुझ पर भी हमला कर दिया था तो मै भाग कर जीने

के नीचे छिप कर अपनी जान बचाई थी। उसके बाद अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए थे तथा जिरह में कहा है कि घटना वाले दिन मै मजदूरी करने नही गया था। घटना के समय मै खाना खा चुका था और अपने दरवाजे पर बैठा था मेरे साथ नीलम,करन,सरस्वती तीनों लोग बैठे थे आस पड़ोस का कोई व्यक्ति साथ मे नही बैठा था। मैने शोरगुल की कोई आवाज नही सुनी रामलाल मेरे दरवाजे पर आकर गिरे रामलाल शराब नही पीते होली दिवाली पर भी नही पीते है। रामलाल को मारने वाले लोग हाथों मे लाठी डण्डे व ईटा पत्थर लिये थे इन लोगों ने रामलाल को लाठी डण्डो व ईटा पत्थरों से बहुत मारा जिससे रामलाल की मृत्यु हो गयी। रामलाल की जब मृत्यु हो गयी थी तब मैने उनको हिला डुलाकर देखा था मैने चोटे नही देखी वह मारते–मारते मर गये थे। मै उनके नजदीक नही गया। किसी ने उनको बचाया नही अभियुक्तगण मारपीट कर भाग गए थे मारपीट मिनट दो मिनट तक हुई थी मारपीट के बाद जब अभियुक्त चले गये तो गांव के काफी लोग मौके पर आ गए थे। पी0डब्लू0–04 लगायत पी0डब्लू0–7 जो मामले के औपचारिक साक्षीगण है जिनके द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है। उपरोक्त साक्षीगण के द्वारा न्यायालय में दिये गये साक्ष्य से अभियोजन कथानक पूर्ण रूप से साबित है जिनके साक्ष्यों का विस्तृत विश्लेषण उपर्युक्त साक्ष्य विवेचन में किया जा चुका है तथा समस्त साक्षियों ने अभियोजन के घटना क्रम को संदेह से परे साबित किया है।

43– **इसी प्रकार अग्रेतर पत्रावली पर उपलब्ध विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार–**

वस्तु–(1) व (2) पर रक्त पाया गया।

वस्तु (3) से (5) के बड़े भागो पर रक्त पाया गया।

रक्त के लिए बेंजिडीन प्रयोग पाजिटिव पाया गया तथा स्पेक्ट्रमीय परीक्षण द्वारा रक्त की पुष्टि की गयी। जिससे अभियोजन कथानक की पुष्टि होती है कि मृतक रामलाल की मृत्यु सिर पर आयी चोटो से हुई है।

44– **अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रमुख रूप से यह तर्क दिया गया है कि रामलाल की मृत्यु अभियुक्तगणों के मारने से नही हुई वरन मृतक शराब के नशे में था, उसके पैर लड़खड़ा गये एवं जमीन पर पड़ी ईट के कारण उसके सिर में गंभीर चोटे आयी जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गयी। क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर केवल एक ही चोट दर्शायी गयी है।**

45– **यहाँ यह उल्लेखनीय तथ्य है कि भले ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के सिर में केवल एक ही चोट का विश्लेषण किया गया है। मृतक के सिर में लगी चोट की प्रकृति ऐसी है जो कि लाठी डण्डे व ईट से आना संभव है। क्योंकि यदि किसी 70–75 वर्षी वृद्ध व्यक्ति के सिर पर लाठी डण्डे व ईट से प्रहार किया जायेगा तो उसकी उम्र व अवस्था को दृष्टिगत रखते हुए लाठी से सिर पर किया गया प्रहार ही प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में उसकी मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है। यह भी गौरतलब तथ्य है कि अभियोजन द्वारा कई चक्षुदर्शी साक्षियों को परीक्षित कराया गया जिन्होनें अपनी मुख्य परीक्षा एवं जिरह में इस तथ्य को र्निविवाद रूप से स्थापित किया है कि अभियुक्तगण बबलू, कमल, दीपू, बहादुर, निर्मला के द्वारा लाठी डण्डे व ईट से प्रहार किया गया जिसका अन्तिम परिणाम राम लाल की मृत्यु के तौर पर हुई।**

46– **अतः उपर्युक्त समग्र तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के विशलेषण के उपरान्त न्यायालय इस मत है कि अभियुक्तगण बबलू, कमल, दीपू, बहादुर, निर्मला द्वारा दिनांक 15.11.2020 को समय 15.00 बजे मुल्जिमानों द्वारा वादी मुकदमा व उसके परिवारजनों के साथ अपराध कारित करने के लिए विधि विरूद्ध जमाव गठित किया एवं उसी के अनुक्रम में वादी सत्यनरायन व उसके परिजनों को ईट पत्थर व लाठी डण्डों से मार कर उपहति कारित किया एवं अभियुक्तगण द्वारा वादी सत्यनरायन व उसके पिता राम लाल को लाठी डण्डो व ईट पत्थर से मार पीट कर उपहति कारित किया तथा पहुंचाई गयी चोटों के परिणामस्वरूप वादी के पिता राम लाल की मौके पर ही मृत्यु हो गयी एवं नियत दिनांक व समय स्थान पर वादी सत्य नरायन व उसके परिवारजनों को जानमाल की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया गया।**

47– अतः उपरोक्त विवेचन के आलोक में उपरोक्त अवधार्य बिन्दु इस आशय से निर्णीत किये जाते है कि अभियोजन अभियुक्तगण बबलू, कमल, दीपू, बहादुर, निर्मला के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा–147, 336/149, 323/149, 302/149, 506 भा0दं0सं0 के अपराध को स्थापित करने में पूर्णतः सफल रहा है। अतः उपरोक्तानुसार अभियुक्तगण बबलू, कमल, दीपू, बहादुर, निर्मला को आरोप अन्तर्गत धारा–147, 336/149, 323/149, 302/149, 506 भा0दं0सं0 में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

आदेश

1– अभियुक्तगण **बबलू, कमल, दीपू, बहादुर, निर्मला** को सत्र परीक्षण सं0–**151/2021**, **मु0अ0सं0–206/2020**, थाना–**असोहा** जनपद, उन्नाव में आरोप अन्तर्गत **धारा–147, 336/149, 323/149, 302/149, 506 भा0दं0सं0** में दोषसिद्ध किया जाता है।

2– अभियुक्तगण **बबलू, कमल, दीपू, बहादुर, निर्मला** जमानत पर है उनके जमानतनामें एवं मुचलके निरस्त किये जाने योग्य हैं एवं जमानतदारों को उनके दायित्यों से उन्मोचित किये जाने योग्य है।

3– अभियुक्तगण **बबलू, दीपू, बहादुर, तथा निर्मला** न्यायालय के समक्ष उपस्थित है उनको न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है। अभियुक्त **कमल** अनुपस्थित उसके विरूद्ध एन.बी.डब्लू. जारी हो। पत्रावली दण्ड के बिन्दु पर सुनवाई दिनांक–08.07.2026 को पेश हो।

दिनांक–07–07–2026

(कविता मिश्रा)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष सं01,उन्नाव।

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित,दिनांकित करके सुनाया गया।

दनांक–07–07–2026

(कविता मिश्रा)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष सं01,उन्नाव

08.07.2026

पत्रावली दण्ड के बिन्दु पर सुनवाई हेतु आज दिनांक–08.07.2026 को पेश हुई।

अभियुक्त **कमल** के विरूद्ध दिनांक–07.07.2026 को जारी एन.बी.डब्लू. आदेश के अनुक्रम में आज दिनांक–08.07.2026 को न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया। अभियुक्त कमल को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। सम्बन्धित मामले के अन्य सह अभियुक्तगण **बबलू, दीपू, बहादुर, तथा निर्मला** जेल से तलब होकर न्यायालय के समक्ष उपस्थित है।

विद्वान लोक अभियोजक व अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को दण्ड के बिन्दु पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

विद्वान लोक अभियोजक की तरफ से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वादी मुकदमा तथा अभियुक्तगण मध्य पूर्व से पुरानी रंजिशन थी उसी रंजिश को लेकर अभियुक्तगण द्वारा अपने सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में लाठी डण्डा, ईटा पत्थर से लैस होकर वादी सत्य नरायन एवं उसके परिवारीजन को मार पीट साधारण व गंभीर उपहित कारित किया जिसके परिणामस्वरूप वादी के पिता रामपाल की मौके पर ही मृत्यु हो गयी तथा वादी मुकदमा को जान से मारने की धमकी दिया। ऐसी स्थिति में उन्हें अधिक से अधिक दण्ड से दण्डित किया जाये। जब कि अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की तरफ से कहा गया है कि अभियुक्तगण अत्यन्त गरीब है तथा उन्हें झूठा फंसाया गया है। अतः अभियुक्तगण को परिवीक्षा पर छोड़ा जाये।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा पूर्व से पुरानी रंजिश को लेकर वादी मुकदमा व उसके पिता रामपाल को लाठी डण्डा, ईटा पत्थर से लैस होकर वादी सत्य नरायन एवं उसके परिवारीजन को मार पीट साधारण व गंभीर उपहित कारित किया जिसके परिणामस्वरूप वादी के पिता रामपाल की मौके पर ही मृत्यु हो गयी तथा वादी मुकदमा सत्यनरायन को जान से मारने की धमकी दिया। ऐसी परिस्थिति में अभियुक्तगण द्वारा गंभीर अपराध कारित किया गया है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण द्वारा किये गये अपराध की प्रकृति को देखते हुए अभियुक्तगण **बबलू, कमल, दीपू, बहादुर, निर्मला,** मु0अ0सं0–**206/2022**, अन्तर्गत **धारा–147, 336/149, 323/149, 302/149, 506 भा0दं0सं0** में निम्न दण्डादेश पारित किया जाना न्यायोचित होगा।

<u>दण्डादेश</u>

1. दोषसिद्धगण/अभियुक्तगण **बबलू, कमल, दीपू, बहादुर, निर्मला (प्रत्येक)** को **धारा–147 भारतीय दण्ड संहिता** के अपराध में **एक वर्ष** के कारावास एवं **मु0–1000/–(एक हजार रूपये)** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की दशा में **तीन माह** का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा।

2. दोषसिद्धगण/अभियुक्तगण **बबलू, कमल, दीपू, बहादुर, निर्मला (प्रत्येक)** को **धारा–323/149 भारतीय दण्ड संहिता** के अपराध में **छः माह** के कारावास एवं **मु0–1000/–(एक हजार रूपये)** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की दशा में **एक माह** का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा।

3. दोषसिद्धगण/अभियुक्तगण **बबलू, कमल, दीपू, बहादुर, निर्मला (प्रत्येक)** को **धारा—336/149 भारतीय दण्ड संहिता** के अपराध में **तीन माह** के कारावास एवं **मु0—500/—(पॉच सौ रूपये)** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की दशा में **एक माह** का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा।

4. दोषसिद्धगण/अभियुक्तगण **बबलू, कमल, दीपू, बहादुर, निर्मला (प्रत्येक)** को **धारा—302/149 भारतीय दण्ड संहिता** के अपराध में **आजीवन कारावास** एवं **मु0—20,000/—(बीस हजार रूपये)** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की दशा में **दो वर्ष** का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा।

5. दोषसिद्धगण/अभियुक्तगण **बबलू, कमल, दीपू, बहादुर, निर्मला (प्रत्येक)** को **धारा—506 भारतीय दण्ड संहिता** के अपराध में **दो वर्ष** के कारावास एवं **मु0—2000/—(दो हजार रूपये)** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की दशा में **तीन माह** का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा।

6. अभियुक्तगण द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि, उपरोक्त सजा में समायोजित की जाएगी। सभी सजाये साथ—साथ चलेगी।

7. अभियुक्तगण का सजायाबी वारण्ट तदनुसार तैयार कर जिला कारागार प्रेषित किया जाए।

8. अभियुक्तगण को निर्णय की एक प्रति अविलम्ब निःशुल्क प्रदान की जाए।

दिनांक—08—07—2026

(कविता मिश्रा)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष सं01,उन्नाव।

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित,दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक—08—07—2026

(कविता मिश्रा)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष सं01,उन्नाव।